कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण जन-जीवन को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

आरएनआई पंजी. संख्या
डीईएलएचआईएन/2007/20953

वर्ष-8, अंक-12
मार्च 2016

₹15

krishi chaupal
www.krishichaupal.org

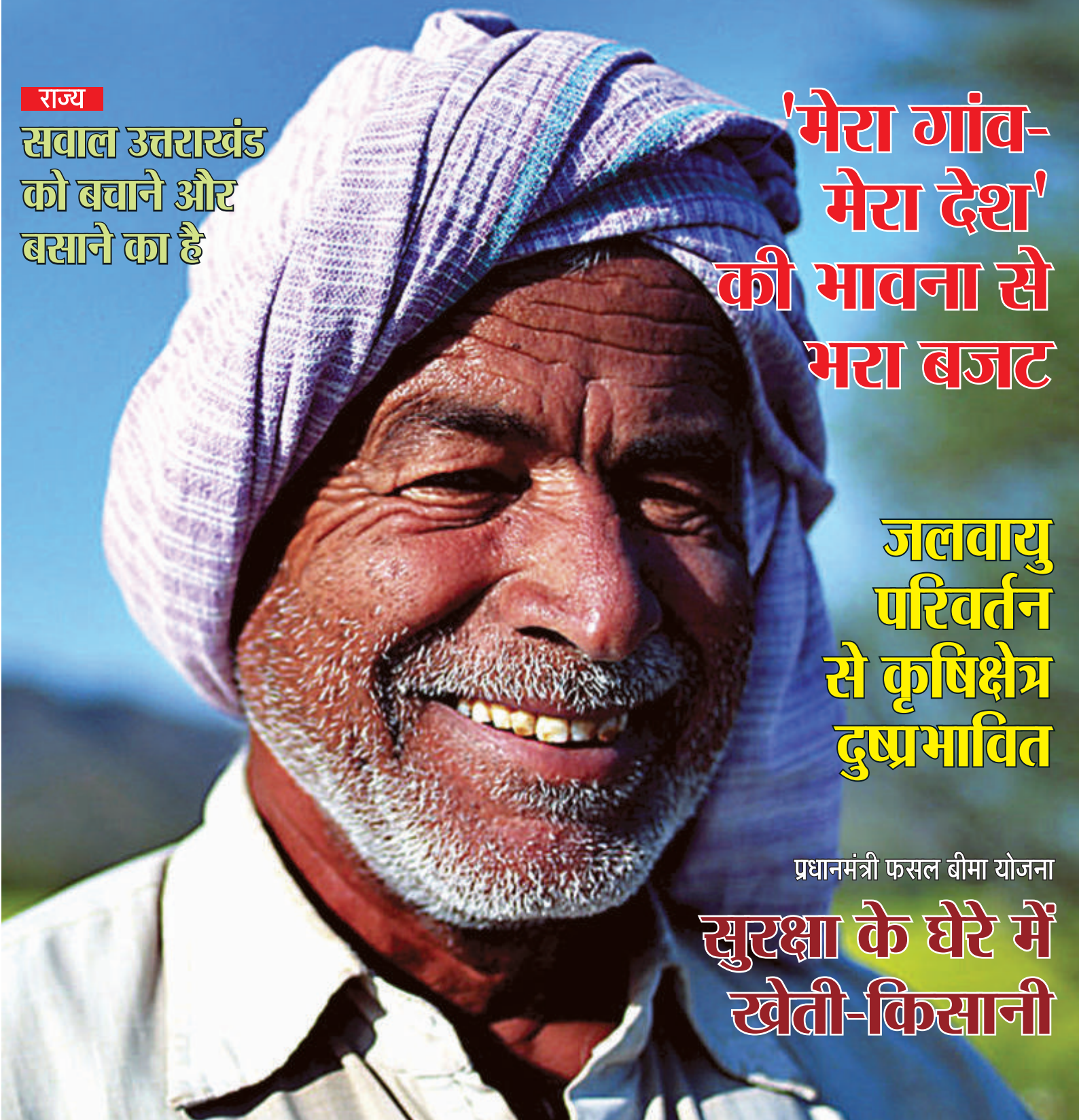

राज्य

सवाल उत्तराखंड को बचाने और बसाने का है

'मेरा गांव-मेरा देश' की भावना से भरा बजट

जलवायु परिवर्तन से कृषिक्षेत्र दुष्प्रभावित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

सुरक्षा के घेरे में खेती-किसानी

NEW INDIA ASSOCIATES

Life Insurance/LIC Credit Card

Car/Home Insurance

Mediclaim

Property Sale, Purchase & Renting at Delhi/NCR

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Life Insurance Corporation of India

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
HEAVENS LIGHT OUR GUIDE

The Oriental Insurance Company Limited

RELIANCE
General Insurance

Reliance General Insurance Company

NARENDRA SINGH BISHT

S-557, Ist Floor, Hira Complex, School Block, Shakarpur, Delhi-110092

Ph: 9810369331, 9717494411, 22484945

E-mail: anjal2006@gmail.com

कृषि गुलम् जगत् सर्वम्

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-8 ❖ अंक-12 ❖ मार्च 2016

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

प्रबंध संपादक
एस. विश्वजीत प्रसाद

सहायक संपादक
खुशाल सिंह

सह संपादक
मदन जलाल

घुमंतू संवाददाता
गणेश चन्द्र पांडे

ब्यूरो प्रमुख अल्मोड़ा
पुष्कर बिष्ट

प्रबंधक प्रसार
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स
kpgdelhi@yahoo.com

संपादकीय कार्यालय
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

क्षेत्रीय कार्यालय
मानपुर वेस्ट, रामपुर रोड हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल, उत्तराखंड-263639

संपर्कः +91 9910406059,
9716407931, 9211915538

Email: krishichaupal@gmail.com
Website: krishichaupal.org

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा द्वारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

- 'कृषि चौपाल' पत्रिका से संबंधित विवाद का निपटारा दिल्ली सीमांतर्गत सक्षम न्यायालयों में ही किया जाएगा।
- उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

किसान को मुआवजा नहीं प्रोत्साहन चाहिए

वित्त वर्ष 2016-17 के लिये मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यह दर्शाता है कि किसान और गांव राजनीति के केन्द्र में आ रहे हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसकी 75 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में बसती है। इस तथ्य को मौजूदा सरकार ने स्वीकार करते हुए इस वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया है।

किसान कभी भी आर्थिक नजरिये से नहीं सोचता है। जमीन को जोतने वाला कभी यह नहीं सोचता कि वह मौद्रिक कार्य कर रहा है। दरअसल एक कवि, साहित्यकार और किसान में ज्यादा अंतर नहीं है। खेती-किसानी भी एक शिल्प है, कला है, शोध है। किसान को अपनी जमीन में पैदा होती हुई फसल से ठीक उसी तरह का आनंद मिलता है जिस तरह का आनंद उसे अपनी संतति के जवान होने पर होता है। किसान की इस भावना को मौजूदा सरकार ने महसूस किया है। किसान को मुआवजा नहीं बल्कि प्रोत्साहन चाहिए। उसे जमीन चाहिए, वह किसी की भी हो। बटाईदार जब किसी दूसरे से जमीन लेकर खेती करता है तो वह कभी भी मेहनत में कंजूसी नहीं करता है। सरकार को इस दिशा में भी सक्रिय होना चाहिए कि भू-संपत्ति का बंदोबस्त किया जाए।

हमारे किसान केवल हमें रोटी ही नहीं देते हैं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जवान भी देते हैं। सर्वेक्षण करा लो यह साबित हो जाएगा कि कितने किसानों के नौनिहाल सेना में हैं और कितने राजनेताओं की संततियां विदेश में हैं।

मौजूदा बजट इस देश की खेती-किसानी को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। बहुत वर्षों बाद खेत-खलिहान-किसान बजट के केंद्र में आये हैं। किसान को कर्ज नहीं बल्कि फर्ज चाहिए। वह अपना फर्ज निभा रहा है और सरकार अपना फर्ज अदा करे -तभी बात बनेगी। कृषिक्षेत्र तथा इससे जुड़े ग्रामीण विकास के लिये सरकार ने जो बजटीय प्रावधान किये हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के लिये उत्साहवर्द्धक हैं। भारत की पहचान उसके गांवों को लेकर है। आज की पूरी दुनिया यह मानती है कि भारत के गांव अनूठे हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक जातीय दंगे केवल शहरों में हुए हैं गांवों में नहीं। भारत का हर गांव अपने आप में एक इकाई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सराहनीय कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कर्ज के मर्ज में जकड़े किसानों के लिए यह दवा का काम करेगी।

इस अंक में राज्य विशेष के तौर पर उत्तराखंड पर नजर दौड़ाई गयी है। केन्द्र द्वारा रेल बजट और वित्त बजट में उत्तराखंड की उपेक्षा गैरवाजिब है। राजनीतिक चश्मे से देखें तो उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सांसद भाजपा के हैं और दो राज्यसभा सांसद भी। जाहिर है कि उत्तराखंड का पक्ष सांसदों द्वारा मजबूती से नहीं रखा गया या फिर राजग सरकार उत्तराखंड के महत्व को नहीं समझ रही है। यह सीमांत प्रदेश है, इसकी उपेक्षा करना सरकार को शोभा नहीं देता है।

महेन्द्र सिंह बोरा
संपादक

इस अंक में...

कृषि समाचार	02
'मेरा गांव-मेरा देश' की भावना से भरा बजट	08
सुरक्षा के घेरे में खेती-किसानी	11
ब्रिटिश राज दे गया बबूल का शूल	13
जीरे की उन्नत खेती	15
जैविक खेती में आर्बस्क्युलर माइकोराइजा का योगदान	17
जलवायु परिवर्तन से कृषिक्षेत्र दुष्प्रभावित	20
सवाल उत्तराखंड को बचाने और बसाने का है	22
हरकिशन लाल चड्ढा: एक सफल काश्तकार	24
औषधीय गुणों का भंडार 'हिंसालू'	25
पलायन को चुनौती दे रहा भट्ट परिवार	26
अब 'भांग' से भला होगा उत्तराखंड का	27
खलाड़ गांव के बहाने कुछ कर दिखाने का जज्बा	28
पहाड़ के लिए जरूरी है पशुपालन एवं डेयरी	29
पहाड़ की खेती की समस्याओं का समाधान है चकबंदी	30
खतरनाक साबित होंगे कृत्रिम जलाशय	32

कृषि उन्नत मेले में जुटेंगे एक लाख किसान

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि दिल्ली में तीन दिवसीय कृषि उन्नति मेला शुरू होने जा रहा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेले में देशभर से एक लाख किसानों के आने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए आठ राज्यों व प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जाएंगे।

राधा मोहन सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाएगा।। उत्पादन व उत्कृष्ठता के लिए दो प्रगतिशील किसानों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मेले में कृषि मंत्रालय के विभाग, उपक्रम, संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय आदि अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। मेले का आकर्षण प्रदर्शनी व विचार संगोष्ठी होगी, जिससे जिला स्तर पर किसानों को फायदा होगा। मेले में सरकार की कृषि क्षेत्र के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर प्रदर्शनी लगेगी। इसमें पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय से जुड़ी योजनाएं किसानों को पता चलेंगी।

समाचार

गांव-किसान की तसवीर और तकदीर बदलने वाला बजट: राधा मोहन सिंह

केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि गांव, गरीब एवं किसान को समर्पित ऐसा बजट पहली बार आया है। इस बजट से कृषि उन्नति एवं किसान कल्याण का नया अध्याय शुरू हुआ है। इस बार कृषि और सिंचाई के बजट में भारी वृद्धि हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। इसलिए इस बार का बजट देश के गांव, गरीब और किसान के विकास की तस्वीर को बदलने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए पेश बजट ने यह साबित कर दिया है कि हमारी मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। जिस तरह से देश के कुछ भागों में सूखों पडा है उसे देखते हुए बजट का कृषि और गांव पर फोकस होना समय की मांग था और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी था। इस बजट से न केवल ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि अगले पांच साल में किसानों की आमदानी को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने देश के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाया है।

श्री सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित है और हमने दूसरे बजट में ही जो कहा वह कर दिखाया। इसके लिए मैं देश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली जी का अभिनंदन करता हूं। गांव, किसान और कृषि विकास की दृष्टि से इस बार के बजट आवंटन में रिकार्ड बढ़ोत्तरी की गई है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2016-17 के बजटीय प्रावधान से स्पष्ट है कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता गांव, गरीब, किसान है। कृषि और किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों की आय को आगामी पांच वर्षों में दोगुना करना हमारा लक्ष्य है। प्रति इकाई उपज बढ़ाना, किसानों के लिए उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना, पशुधन-डेयरी एवं मात्स्यिकी के अलावा कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार को बढ़ावा देना हमारी प्रतिबद्धता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को श्री सिंह ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना करार दिया है। उन्होंने कहा कि लागत कम कर और उत्पादकता बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। इस काम में फसल बीमा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार देने वाली 93 प्रकार की प्रजातियां विकसित की हैं। इससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक सूखा रहने के बावजूद कृषि पैदावार बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। 28 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित करने की योजना बनायी गयी है। साथ ही सिंचाई से जुड़ी और 20 वर्षों से लंबित पड़ी 89 परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है और 12,500 करोड़ रुपयों की लागत से 23 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

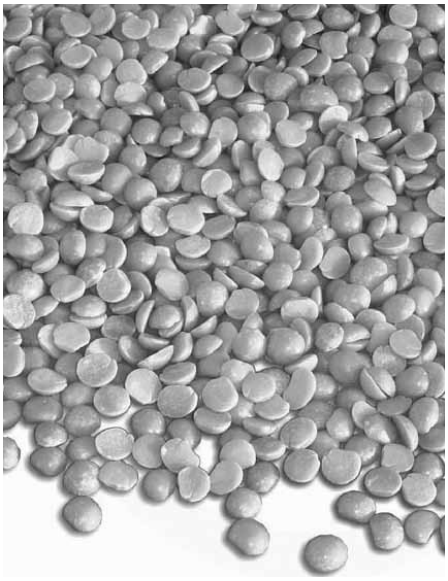

खेसारी दाल को अनुमति देना सही: खाद्य मंत्री

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खेसारी दाल की कुछ किस्में उगाने की अनुमति दिए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि अगर इसके उपयोग से इंसानों के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आती है तो यह सही कदम है क्योंकि इससे दालों का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते सरकार ने 1961 में खेसारी दालों के उत्पादन पर रोक लगा दी थी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी खेसारी की तीनों किस्में रतन, प्रतीक, महातेओरा विकसित करने को कृषि वैज्ञानिकों की उपलब्धि करार दिया है।

देश में अरहर दाल की कमी के चलते मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी से निपटने के लिए केंद्र सरकार खेसारी दाल की तीन किस्में उगाने की अनुमति देगी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आइआइपीआर) का कहना है कि अरहर जैसे रंग व आकार वाली इन तीन किस्मों की खेसारी दालों के उपभोग से स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं है।

खेसारी दाल की पिछली किस्में उगाने पर सरकार ने 1961 में रोक लगाई थी। खेसारी दाल खाने से अपंगता और नसों को नुकसान पहुंचने की आशंका के चलते इनके उत्पादन पर रोक लगाई गई थी। हालांकि पूर्वी भारत और बांग्लादेश में खेसारी दाल अभी भी खाई जाती है। क्योंकि यह मूल अरहर दाल के मुकाबले काफी सस्ती होती है। लाखों गरीबों के लिए प्रोटीन पाने का यह सस्ता विकल्प है। देश में लगातार दूसरे साल सूखा पड़ने की वजह से दालों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दालों की कमी की वजह से इनकी कीमतों में खासी तेजी आई। खासकर अरहर दाल की कीमत आसमान छू रही है। दालों की कमी दूर करने के लिए इनका आयात किया जा रहा है। सरकार का मकसद खेसारी दालें उगाकर दालों की देश में कमी दूर करना और इस मामले में आत्मनिर्भर बनना है। पिछले तीन दशकों में पहली बार लगातार दो साल देश को सूखे से जूझना पड़ा है। सरकार के इस फैसले के बाद खेसारी दाल की हाल में विकसित तीन किस्में सूखे या बारिश के मौसम में उगाई जा सकेंगी। सरकारी अनुसंधान संस्थान आइआइपीआर के निदेशक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ये तीन किस्में विकसित की है। इनमें इंसानों और पशुओं की नसों को नुकसान पहुंचाने और टांगों में कमजोरी लाने वाले न्यूरोटॉक्सिन की मात्र पिछली किस्मों के मुकाबले काफी कम है।

रामबाण बनेगी कंपोस्ट खाद नीति

राजनीतिक रूप से संवेदनशील उर्वरक सब्सिडी के चक्रव्यूह में फंसी सरकार के लिए कंपोस्ट खाद सब्सिडी रामबाण साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि कंपोस्ट खाद का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ने से यूरिया का इस्तेमाल घटेगा जिससे सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ हल्का करने में मदद मिलेगी।

सूत्रों का कहना है कि विभिन्न प्रकार की सब्सिडी को तर्कसंगत और लाभ केंद्रित बनाना सरकार के व्यय सुधारों की सूची में सबसे ऊपर है। पहले सरकार ने सब्सिडी को तर्क संगत बनाने में सफलता प्राप्त की है।

असल में खाद पर सब्सिडी को घटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीते दस साल में खाद सब्सिडी बढ़कर चार गुना हो गई है। अकेले यूरिया सब्सिडी ही 2005-06 से 2014-15 के दौरान 12,793 करोड़ रुपये से बढ़कर 47,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। सब्सिडी में यह वृद्धि सरकार के लिए तो चिंता का विषय तो है ही, किसानों को भी इसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल के चलते उपज में भी वांछित वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसलिए इसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना न सिर्फ सरकार के खजाने के लिए मुफीद होगा बल्कि इससे किसानों को भी फायदा होगा।

सरकारी खजाने पर अब मुख्यत: दो तरह की सब्सिडी का ही सबसे ज्यादा बोझ है- खाद सब्सिडी 72,968 करोड़ रुपये और खाद्य सब्सिडी 1,24,419 करोड़ रुपये। प्रमुख सब्सिडी मदों पर होने वाले 2,27,387 करोड़ रुपये के व्यय में से इन दोनों ही सब्सिडी पर 1,97,387 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से कार्ड के डिजिटाइजेशन तथा बेहतर प्रबंधन से खाद्य सब्सिडी में मौजूदा सुधार कर इसे नीचे लाने की कोशिश है। इसलिए कंपोस्ट खाद पर सब्सिडी इस दिशा में अहम कदम है। फिलहाल देश में करीब साढ़े चार करोड़ टन रसायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। कंपोस्ट खाद बनाने की संभावित क्षमता 58 लाख टन है। ऐसे में अगर सब्सिडी देकर कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे यूरिया का इस्तेमाल काफी हद तक घटाया जा सकेगा, जिससे सब्सिडी में बचत होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार इससे पहले पीएंडके खाद के लिए न्यूट्रीएंट बेस्ट सब्सिडी शुरू कर इस दिशा में कदम उठा चुकी है।

आइएआरआइ ने विकसित की अरहर की नई किस्म

दालों की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर एक राहत की खबर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) के वैज्ञानिकों ने अरहर की एक नई किस्म तैयार की है।

यह किस्म न सिर्फ कम समय में पककर तैयार हो जाएगी बल्कि इससे उत्पादन भी अधिक होगा। इस किस्म के आने से जहां देश में दलहन का उत्पादन बढ़ेगा, उम्मीद है कि वहीं यह किसानों के लिए विशेज़ फायदेमंद होगी। आइएआरआइ के संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) केवी प्रभु ने कहा कि अरहर की इस नई किस्म का नाम पीएडीटी रखा गया है और इसकी फसल 120 दिन में पककर तैयार हो सकेगी। फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में अरहर की फसल तैयार होने में

160 से 270 दिन तक लगते हैं। ऐसे में नई किस्म के जल्द तैयार होने से किसानों को दूसरी फसल बोने का वक्त भी मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह किस्म पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए विशेज़ रूप से उपयोगी होगी। इन राज्यों में किसान जुलाई के महीने में इसकी बुवाई कर सकते हैं। फसल अक्टूबर में पक कर तैयार हो जाएगी। प्रभु ने कहा कि इस किस्म की खासियत यह है कि इसका पौधा मात्र 92 सेमी. तक बढ़ेगा और इसकी फलियां भी एक साथ पकेंगी। यह बिल्कुल गेंहू के पौधे की तरह होगा। इसलिए इसे काटने के लिए कंबाइन हारवेस्टर का प्रयोग किया जा सकता है। इससे किसानों की श्रम संबंधी लागत भी कम होगी।

एरोमा मिशन में सुगंधित पौधों की खेती

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सुगंधित और वैज्ञानिक महत्व के पौधों की खेती के लिए एरोमा मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत किसानों को वैज्ञानिक महत्व के सुगंधित पौधों की खेती के तरीके सिखाये जाएंगे ताकि वे परंपरागत खेती छोड़कर इन फसलों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है। इस योजना का संचालन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा किया जाएगा। सीएसआईआर की कुछ प्रयोगशालाएं इस पर पहले से कार्य कर रही हैं।

सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. गिरीश साहनी ने बताया कि पालमपुर, जम्मू तथा लखनऊ स्थित प्रयोगशालाओं में औषधीय, सुगंधित और अन्य वैज्ञानिक महत्व के पौधों पर शोध चल रहा है। इन प्रयोगशालाओं ने नई किस्में विकसित कर किसानो को दे दी हैं, जिन्हें किसान प्रयोगशालाओं के तय मानकों के अनुसार उगा रहे हैं। इसको अब बड़े पैमाने पर करने की तैयारी है। एरोमा मिशन के तहत इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

त्वचा कैंसर के लिए मरहम

मेलेनोमा नाम के घातक त्वचा कैंसर के उपचार के लिये वानस्पतिक मरहम बनाया गया है। इस मरहम को लातिन अमरीकी देश चिली के सेंटियागो विश्वविद्यालय के शोधकत्ताओं ने तैयार किया है। कुछ पौधों के रस से तैयार किया गया यह मरहम अभी मानवों के परीक्षण के प्रथम चरण में है। मरहम को बनाने वाली शोध टोली के प्रमुख वैज्ञानिक सोफिया माइकलसन और कलाडियो अकुना ने पिछले दिनों जारी एक सूचना में बताया कि कुछ जानवरों पर इसका इस्तेमाल किया गया था और यह मेलेनोमा के उपचार में काफी हद तक सफल पाया गया है।

जिन जानवरों पर इस मरहम का इस्तेमाल किया गया उनकी जीवन प्रत्याशा में दुगुनी से ज्यादा वृद्धि पायी गयी है। शोधकर्त्ताओं का कहना है कि इस मरहम का असर पारंपरिक दवाओं से बेहतर देखा जा रहा है। मानव परीक्षण के बाद यह मरहम आम बाजार में उपलब्ध कराया जायेगा।

सूखा प्रभावित घोषित करने के मानक बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखा प्रभावित 12 राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, मिडडे मील, दाल, दूध, खाने का तेल आदि बंटवाने का ब्योरा मांगा है। शीर्ष अदालत ने इन राज्यों में हुई वर्षा के आंकड़ों के साथ सरकार से पूछा है कि किसी राज्य को सूखा प्रभावित घोषित करने के क्या मानक हैं?

सोमवार को यह निर्देश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सूखाग्रस्त राज्यों में पर्याप्त मदद न पहुंचने की शिकायत वाली 'स्वराज अभियान' की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिका में प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग की गई है। कहा गया है कि इन क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों को मिडडे मील दिया जाए तथा लोगों को प्रोटीन की अधिकता वाला भोजन जैसे दूध, अंडे और खाने वाला तेल आदि उपलब्ध कराया जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सूखा प्रभावित राज्यों में जारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की क्या स्थिति है? क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रें में मनरेगा के तहत लोगों को 100 के बजाय 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है? वहां खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने की क्या स्थिति है? इसके अलावा याचिकाकर्त्ता के सुझाव के मुताबिक क्या प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह दो किलो दाल, एक लीटर खाने वाला तेल, दूध, अंडे आदि दिया जा सकता है? न्याय पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां दी जा रही सुविधाओं के आंकड़े केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बावत राज्यों के साथ बैठक करके कोर्ट को आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से इन राज्यों में हुई बारिश का ब्यौरा देने के साथ ही पूछा है कि किसी राज्यों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के मानक क्या हैं।

इस बीच सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तय फंड और प्रभावित राज्यों को इससे वितरित की गई राशि का ब्योरा कोर्ट में पेश किया। मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।

दान की भूमि भी खुर्दबुर्द

देश की 60 प्रतिशत सम्पत्ति 26 प्रतिशत लोगों की मुट्ठी में है। आचार्य बिनोबा भावे ने इन्हीं 26 प्रतिशत लोगों के आगे झोली फैलाकर एक जमाने में भूदान आंदोलन के दौरान कुछ जमीन हासिल की थी ताकि वह जमीन इस देश के भूमिहीनों को वितरित की जा सके। इस भूदान आंदोलन के दौरान महाराजा दरभंगा कामेश्वर सिंह ने पुराने पूर्णिया जिले में 15 हजार 411 एकड़ भूमि दान में दी थी।

यह जमीन भूमिहीनों में तो नहीं बंट पायी परंतु भूदान यज्ञ समिति आज भी इस जमीन की खोज और पैमाईश को लेकर दर-दर भटक रही है। बाजार दर पर आज यह जमीन अरबों रुपयों की है। इस जमीन का मामला विगत तीन दशकों से उलझा हुआ है। यह मामला इस बात की भी मिसाल है कि देश में जमीनों की लूट के तंत्र का शासन-प्रशासन के साथ कितना गहरा रिश्ता है और संबंधित महकमा किस तरह जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में भू-माफियाओं का साथ निभाता है।

अब यह जमीन काफी हद तक खोज ली गयी है परंतु इसका पात्र-जनों में वितरण आज

तक संभव नहीं हो पाया है। दान देने के बाद महाराज दरभंगा की भूमि सम्पुष्ट कर ली गयी थी और इस भूमि का मालिकाना हम भूदान यज्ञ समिति को प्राप्त हो भी गया था। यह भूमि भूदान यज्ञ के शुरूआती वर्षों में 1953-54 में दान दी गयी थी। बाद में 1958-59 में क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान इस भूमि के मालिकाना हक के साथ-साथ इसका वितरण भी खटाई में पड़ गया। सर्वेक्षण के दौरान इस महाराज दरभंगा की दत्त भूमि का ज्यादातर रकबा कहीं तो बिहार सरकार के नाम हो गया और अनेक जगहों पर उस भूमि को गैररैयती वर्ग में शामिल कर दिया गया। इस भूमि के बारे में छेड़-छाड़ की जब भूदान यज्ञ समिति को खबर मिली तो उसने इस भूमि की खानतलाशी शुरू की।

भूदान यज्ञ समिति द्वारा इस जमीन की तलाशी के दौरान 2008-09 के दौरान कृत्यानंद नगर प्रखण्ड में 75 एकड़ तथा 20 एकड़ के दो जमीन के खण्ड चिन्हित हुए जो कि इसी दत्त भूमि में से थे। परंतु इन जमीनों पर उस वक्त तक अन्य लोगों का कब्जा हो चुका था। इस तरह की जमीनों के मुकदमों को लड़ने के लिये जिन संसाधनों और पूंजी की आवश्यकता होती है, वह भूदान यज्ञ समिति के पास नहीं थे। लिहाजा वह इस भूमि को प्राप्त नहीं कर सकी। तलाशी के दौरान ही पता चला कि इसी पूर्णिया जिले के अंतर्गत रूपौली इलाके में महाराज दरभंगा द्वारा 312 एकड़ तथा 410 एकड़ के दो और विशाल भूखण्ड भूदान में दिये गये थे। इस कुल 722 एकड़ भूमि में से अधिकांश भूमि पर दबंगों का कब्जा पाया गया है। जिले के ही तिपनियां क्षेत्र में तलाशी के दौरान भूदान के लिए प्राप्त 111 एकड़ जमीन का और पता चला। इसी जमीन के 15 एकड़ हिस्से में नदी पायी गयी तथा सात एकड़ भूमि में सड़क का निर्माण पाया गया, जबकि 86 एकड़ जमीन गैररैयती वर्ग में दर्ज पायी गयी। शेष बची लगभग तीन एकड़ जमीन ही भूदान यज्ञ समिति को उसके हक में बतायी गयी। इसके बाद से यह विवाद और भी गहरा गया है। किसी ने सच कहा है कि इसी दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहां मिट्टी के बैरी बसते हैं और भिखारी को भी लूट लेते हैं। भूदान यज्ञ समिति को दत्त में मिली जमीनों के साथ जो कुछ इस देश में हो रहा है वह इसी कहावत को चरितार्थ करता है।

नहीं बढेंगी दाल की कीमतें

केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिलाया है कि दाल की कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी कहा कि पीडीएस से गरीबों को दाल मुहैया कराना अभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडीएस के जरिए चावल, गेहूं और कुछ राज्यों में किरासन तेल और चीनी दी जाती है।

श्री पासवान ने कहा कि बेमौसम बरसात का असर खाद्यान्नों की कीमतों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। देश में दालों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसमी असर के कारण आलू, प्याज, टमाटर के दामों में सामान्य उतार-चढ़ाव हो सकता है। दालों की कीमत को लेकर पासवान ने कहा कि पिछले साल 226 लाख टन की मांग के विरुद्ध 170 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था और 45 लाख टन दाल का आयात किया गया था। जबकि इस वर्ष 65 लाख टन दाल आयात की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार ने दाल का समर्थन मूल्य 274 रुपये बढ़ाया है।

श्री पासवान ने यह जानकारी भी दी कि मार्च 2017 तक जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की तीन लाख दुकानों में स्वचालन सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अभी तक करीब 91 हजार दुकानों में यह सुविधा शुरू हो गयी है। मार्च 2019 तक देश की सभी 5.35 लाख उचित दर की दुकानों स्वचालन सुविधा लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उचित दर की सभी दुकानों में स्वचालन सुविधाएं शुरू हो जाने से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

श्री पासवान ने कहा कि विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुसार 45 फीसदी राशन कार्डो को आधार से जोड़ा जा चुका है। करीब 3.75 लाख फर्जी राशन कार्डो का भी पता चला है। उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी का नकद अंतरण करने की योजना तीन केन्द्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादर एवं नगर हवेली में शुरू की गयी है।

पशुपालन से आजीविका चलाने वाले परिवार घटे

सरकारी स्तर पर कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में पशुपालन से आजीविका कमाने वाले ग्रामीण परिवारों को हिस्सा दो प्रतिशत से भी कम है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने जनवरी-दिसंबर 2013 के दौरान किये गये एक सर्वेक्षण में उक्त निष्कर्ष निकाला है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार कुल ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.75 प्रतिशत परिवार ही पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपना कर अपनी

बड़ी आजीविका कमाते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 27 लाख है जिनके पास औसतन लगभग 0.489 हेक्टेयर जमीन है। पशुपालन के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी जमीन में से भूमि का सबसे बड़ा इस्तेमाल डेयरी के लिए होता है जो जुलाई-दिसंबर 2012 की अवधि में 53.8 प्रतिशत तथा जनवरी-जून 2013 में 69.7 प्रतिशत था। गांवों में पशुपालन में सबसे कम जमीन सूअर पालन पर इस्तेमाल की जाती है।

ताजा सर्वेक्षण में इस काम में इस्तेमाल ऐसी जमीन का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। इसके अनुसार कुल अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 0.75 प्रतिशत, कुल अनुसूचित जाति परिवारों में 1.50 प्रतिशत, कुल ओबीसी परिवारों में से 2.17 प्रतिशत तथा कुल अन्य परिवारों ने कहा कि उनकी प्रमुख कमाई का जरिया पशुपालन है। दस एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले परिवारों में से 3.67 प्रतिशत का कहना है कि उनकी आय का बड़ा हिस्सा पशुपालन से आता है।

भूमि पट्टेदारी कानून में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार

कृषि क्षेत्र की मुश्किलें दूर कर किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वायदे को पूरा करने में सरकार जुट गई है। इसके लिए संशोधित पट्टेदारी कानून का मॉडल सभी राज्यों को भेजा जाएगा। सभी प्रदेश सरकारें संशोधित कानून लागू करने पर सहमत हैं। पट्टेदारी कानून लागू हो जाने से बटाईदार किसानों को जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा, वहीं बैंकों से फसली ऋण भी उन्हें आसानी से मिल सकेगा।

पट्टेदारी कानून में संशोधन और उसे राज्यों में लागू होने के बाद बटाईदार किसानों को सभी लाभ मिलने लगेंगे। भूमि मालिकों का भी भय दूर हो जाएगा। जमीन को पट्टे पर बटाईदार को देने में उन्हें सहूलियत होगी। इससे देश में फसलों की उत्पादकता में भारी वृद्धि होने की संभावना है। पट्टेदारी कानून में संशोधन करने को लेकर गठित टी. हक कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में सक्रिय है। मॉडल कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पट्टेदारी पर दी जाने वाली जमीन निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे कारपोरेट सेक्टर के इस दिशा में सक्रिय होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। गांव की जमीनों को अपडेट करने का दायित्व ग्राम सभा स्तर पर करने की सिफारिश की गई है।

कमेटी के अध्यक्ष टी. हक के मुताबिक, भू-स्वामियों का मालिकाना हक जाने का भय दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन इस भय से किसी बटाईदार को लंबे समय तक देने से बचता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में जमीन का पट्टा करने पर प्रतिबंध है। सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही जमीन का पट्टा संभव है। केरल में भी पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लिए छूट दी गई है।

देश में केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में पट्टेदारी की पूरी छूट है। हक कमेटी की रिपोर्ट में इन्हीं राज्यों की तर्ज पर एक मॉडल कानून तैयार किया जा रहा है, जिसे देश के अन्य राज्यों में लागू करने के लिए भेजा जाएगा।

पराली से बिजली बनाएगा हरियाणा

पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बनी पराली से हरियाणा में बिजली पैदा की जाएगी। इससे संबंधित तकनीक का अध्ययन करने के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री नायब सैनी और अधिकारी पंजाब जाएंगे। पराली और अन्य फसल अवशेष से बिजली उत्पादन प्रक्रिया बायोमास तकनीक कहलाती है। पंजाब में कुछ जगह इसका सफल प्रयोग हो रहा है। ऊर्जा के नये स्रोत विकसित करने की दिशा में सरकार एक साथ कई बड़े कदम उठाने जा रही है। सोलर, विंड व बायोमास आदि तकनीक से ग्रिड की बिजली बचाने व वैकल्पिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अब पूरी दुनिया में महकेगी बासमती की खुशबू

बासमती की खुशबू का जलवा अब पूरी दुनिया में महकेगा। बासमती की अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर मुहर लग गयी है। घरेलू स्तर पर प्रमुख रूप से इसका लाभ गंगा के मैदानी क्षेत्र में पैदा होने वाली बासमती को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती चावल की उत्कृष्टता बनी रहेगी जिससे अच्छी कीमत मिलेगी। भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश अब बासमती के नाम से अपना चावल बाजार में नहीं बेच सकेगा।

चेन्नई स्थित बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्राधिकरण (एपिडा) को यह जियोग्राफिकल इंडीकेशन (जीआई) पेटेंट देने का अधिकार दिया है। अब एपिडा की संबंधित बासमती चावल कंपनियों को यह टैक जारी करने के लिए अधिकृत है। हालांकि मध्य प्रदेश को नये सिरे से जीआई टैग के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए नये दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

सूत्रों के मुताबिक अमेरिका व यूरोप संघ के देशों के माफिक भारत भी अपने कृषि उत्पादों के जीआई संरक्षण का टैग करने वाला देश बन गया है। जीआई टैग से अब पूरी दुनिया में भारतीय बासमती निर्विवाद रूप से अकेली होगी। इससे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पैदा होने वाली बासमती की खशबू पूरी दुनिया में महकेगी।

गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 85 फीसदी बाजार पर भारतीय बासमती का कब्जा है जबकि मात्र 15 फीसद पाकिस्तान निर्यात करता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बासमती की इस सफलता से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बासमती उगाने वाले किसानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।

बासमती चावल की सर्वाधिक मांग मध्य-पूर्व के देशों के साथ अमेरिका में है। विशेष स्वाद और खुशबू से अपने कद्रदानों के बीच बासमती फिर राज करेगी। वर्ष 2008 में एपिडा ने बासमती की खासियत गिनाते हुए जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। भारत के साथ पाकिस्तान ने बासमती की परंपरागत विरासत पर अपनी सहमति जताई थी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की बासमती को जीआई टैग की मुहर नहीं लगी है। भारत ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बासमती के निर्यात का विरोध नहीं करेगा क्योंकि यह क्षेत्र भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शुमार है।

एफसीआइ में 43 फीसद पद खाली

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। निगम में करीब 15,800 पद खाली पड़े हैं। एफसीआइ के पास 8,600 कामगारों की कमी है। यह जानकारी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में दी। एफसीआइ के लिए कुल 36,892 पद निर्धारत हैं। इसके मुकाबले केवल 21,139 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।

फिर बारिश के अनुमान से फसलों पर संकट

खेती पर आफत बरस रही है। चालू सप्ताह में और बारिश व ओलावृष्टि के मौसम विभाग के अनुमान से फसलों को और नुकसान की आशंका पैदा हो गई है। इससे किसानों के साथ सरकार की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। अभी तक हुई बारिश व ओलावृष्टि से खेती को हुए नुकसान की मिल रही फौरी रिपोर्ट से सरकार पहले ही चिंतित है।

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से नुकसान तो हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले नुकसान कुछ कम है। प्रभावित सभी राज्यों से नुकसान के बारे में उनकी बातचीत हो गई है। सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कृषि मंत्रियों से बातचीत हो गई है। अन्य राज्यों के कृषि सचिवों व अन्य

आला अफसरों से चर्चा हो गई है। सभी राज्यों को ताकीद किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने यहां हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी भेजें, जिससे केंद्रीय दल उन राज्यों का दौरा कर सकें। सिंह ने बताया कि राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों के किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें तत्काल प्रभाव से मुआवजे का एक हिस्सा बांट दिया जाए। शेष कार्यवाही होती रहेगी। राज्यों में बरसात और ओला से हुए नुकसान के सर्वेक्षण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। किसानों के नुकसान का मुआवजा देने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। राज्यों के अफसरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछैती गेहूं की खेती होती है, जिसे इस बारिश का फायदा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में फसलें कटने को तैयार थी, उनका जरूर नुकसान हुआ है।

भारतीय बैंकों का किसानों को लेकर क्या है नजरिया

किसानों के लिए फसल का बीमा सुनने में बहुत अच्छा विचार लगता है लेकिन असल में जब किसान बैंक से कर्ज लेता है तो बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति लिए जबर्दस्ती उसके अकाउंट से पैसा काटकर बीमा करवा दिया जाता है। बीमा करवाना है या नहीं इसका फैसला किसान नहीं ले सकता। बीमा किस कंपनी से करवाना है, किन शर्तों पर करवाना है यह भी किसान के हाथ में नहीं। बैंक खुद फैसला करता है।

बीमे के बाद कोई कागज किसान के हाथ में नहीं होता। दुर्घटना की हालत में उसे नहीं पता होता कि उसे बीमे का क्या भुगतान मिलना चाहिए। जब फसल खराब होती है तो भी किसान को नहीं मालूम कि वह कहां जाए, कहां दावा करे।

कृषि चौपाल टीम गांवों में गयी तो पता चला कि बहुत से किसानों को बीमे की कोई राशि नहीं मिली है। केवल उत्तराखंड में एक दो जगहों पर किसानों को बीमे का कुछ अमाउंट मिला था। अगर उसे पैसा देने का फैसला होता है, तब बैंक पलटकर कहता है कि पहले आप सारा ऋण चुकाओ तब बीमे की राशि देंगे। बीमा और बैंक मिलकर किसान को ठग रहे हैं। जो योजना किसान के कल्याण के लिए बनी थी, उसका इस्तेमाल किसान पर डाके के लिए हो रहा है।

इसके लिए पूरी जानकारी करनी होगी। कुछ मामलों में पता चला है कि बैंक जो पैसा किसान से लेता है, उसे बीमा कंपनी तक नहीं भेजता। ऐसे में क्लेम कैसे मिलेगा। कुछ मामलों में ऊपर

जाता है। मगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की ऐसी साठगांठ होती है कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंपनी को ज्यादा पैसा न देना पड़े।

स्थानीय स्तर पर बैंक किसान की आंख में धूल झोंककर रखते हैं। एक औसत किसान जब बैंक मैनेजर के पास जाता है, तो वह शहरी ग्राहक की तरह नहीं जाता। वह बैंक को माई-बाप समझकर जाता है और बैंक मैनेजर तो उन्हें दरवाजे से भगा देते हैं।

किसानों ने हमें बताया कि बैंक में जाते हैं तो मैनेजर हमसे ऐसे व्यवहार करता है मानो हम भिखमंगे हैं या चोर हैं। कागज पर भारत सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं जो कहती हैं कि किसान को खेती के लिए सस्ती दर पर कर्ज मिलेगा। ब्याज की दर कहीं सात है तो कहीं चार प्रतिशत। मध्य प्रदेश सरकार तो दावा करती है कि शून्य प्रतिशत पर कर्ज दिया जाएगा पर हकीकत अलग है।

हकीकत यह कि पहले तो किसान को आसानी से कर्ज मिलता ही नहीं। दूसरे, किसान से ऐसे दस्तावेज मांगे जाते हैं जिनकी कानूनन आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मजबूर किसान से अगर कोई बैंक मैनेजर कहता है कि ये-ये कागज लेकर आओ तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि ये मेरा हक है कि ये दस्तावेज न मांगा जाए। उसकी इतनी जमीन और संपत्ति रेहन रखी जाती है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं।

राज्य सरकारें घोषणा करती हैं कि अगर आप फसल चक्र के भीतर पैसा वापस कर देते हैं, तो कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि सरकार के फसल चक्र की परिभाषा उस दिन समाप्त हो जाती है, जब किसान ने अपनी फसल काटी भी नहीं होती। तो वह कैसे वापस करेगा? कागज पर लिखी इबारत और व्यवहार में बहुत फर्क है। ज्यादातर बैंक किसान को लोन नहीं देना चाहते। कहीं न कहीं बैंक अफसरों को लगता है कि इससे तो लोन डूब जाएगा।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लोन देते वक्त उन्हें यह बात याद नहीं आती। कोई 5,000 करोड़ का लोन लेकर बैठा है कोई 10 हजार करोड़ का। भारत सरकार उनके पास गिड़गिड़ाते हुए जाती है और कहती है कि चलो आपका ब्याज माफ किया, आप मूलधन दे दो। अभी नहीं, तो पांच साल बाद दे देना।

और इसे बड़े सुंदर शब्दों में कहती है कि यह लोन की रिस्ट्रक्चरिंग है। मैं सोचता हूं कि वह किसान के लिए लोन की रिस्ट्रक्चरिंग क्यों नहीं करती। किसान को कर्ज की माफी नहीं चाहिए। जो शर्तें हैं वो बेहतर चाहिए।

राष्ट्रीय बैंकों का किसान के प्रति रवैय्या या कहें कि निष्ठुरता एक जैसी है। सहकारी बैंक राज्य सरकारों के निर्देश पर काम करते हैं। उनकी नीतियां अलग हैं। कहीं किसानों को आसानी से लोन मिल जाता है तो कहीं नहीं।

असल में अंतर क्रॉप लोन में नहीं फसल बीमा में है क्योंकि फसल बीमा की शर्तें राज्य सरकार तय करती है। कहीं एक तरह से किसान को ठगा जा रहा है तो कहीं दूसरी तरह से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो बीमा योजना है, उससे किसान को कुछ नहीं मिलता।

इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। हमें लगता है कि किसान के साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है। हो सकता है कि यह देशभर का बहुत बड़ा घोटाला हो, जिसमें कुछ हजार करोड़ रुपया किसान से ले लिया गया और हम नहीं जानते कि ये पैसा उसे वापस किया गया है या नहीं। यह भी हुआ है कि जिसे फसल का बीमा बताया गया, वह असल में उसके बैंक से लिए गए ऋण का बीमा था। कई जगह बैंक बीमे के भुगतान से पहले शर्त रखता है कि पहले हमारा लोन वापस करो। ऐसा दुनियाभर में नहीं है पर ऐसा हो रहा है। कई जगह किसान की कुल जमीन पर उससे प्रीमियम वसूला जाता है चाहे उसने वहां कुछ बोया हो या नहीं। तो इसे पूरे विस्तार से जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए नए निर्देश जारी करने चाहिए कि बैंक किसान से कैसे व्यवहार करें। क्या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, क्या नहीं। प्राथमिकता से पैसा देने के क्या नियम हों।

मुख्य उद्देश्य यह हो कि किसान को साहूकार के पास न जाना पड़े। अगर कोई जाता है तो इसका मतलब हमारी बैंकिंग व्यवस्था असफल हो गई है। साहूकार को किसान 3 से 4 फीसदी ब्याज देता है। हम शहरवाले सोचते हैं ठीक है। मगर असल में यह 3-4 प्रतिशत मासिक ब्याज है यानी साल का 36 या 48 प्रतिशत। ●

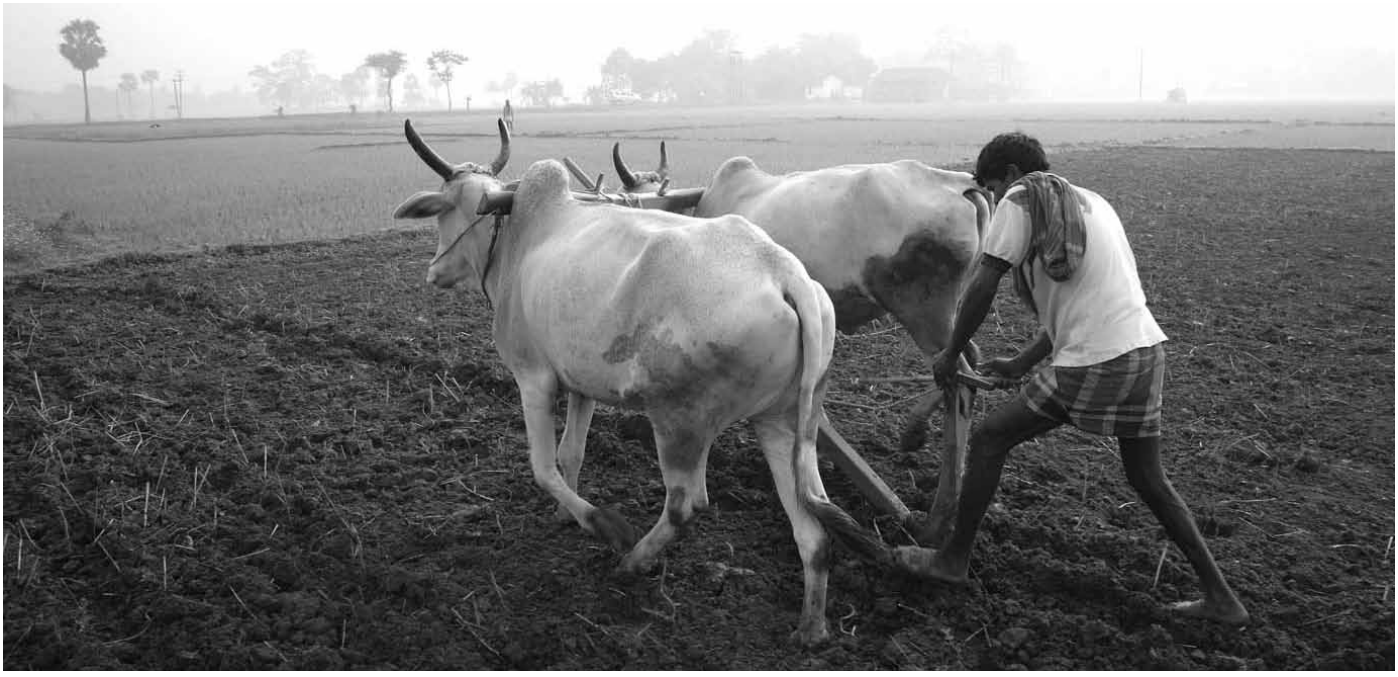

‘मेरा गांव-मेरा देश’ की भावना से भरा बजट

प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि ‘मेरी सरकार किसानों और गांवों के रडार पर होगी’। परंतु जब वह प्रधानमंत्री बने तो शायद इस वादे को भूल गये या फिर उन्होंने इसे भी एक प्रकार का चुनावी जुमला ही मान लिया। बिहार की हार के बाद प्रधानमंत्री शायद यह समझ गये हैं कि उनकी कथनी-करनी में फर्क को मतदाता समझ रहे हैं। इसीलिये वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस बार का आम-बजट ‘मेरा गांव-मेरा देश’ की तर्ज पर पेश किया गया है।

■ **महेन्द्र सिंह बोरा**

29 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया गया। जैसी कि परंपरा है बजट प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पढ़ा गया। इस बजट प्रस्ताव को पास कर लिया गया और अब यह आम बजट भारत के 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिये भारत के नागरिकों की तकदीर बन गया है। अभी हालांकि ईपीएफ खाते के ब्याज के 60 फीसदी हिस्से पर कर आरोपित करने के बजट प्रस्ताव को वापस ले लिये जाने के बाद भी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। लेकिन यह तय है कि 29 फरवरी को पेश किया गया वर्ष 2016-17 का आम-बजट इसी वर्ष एक अप्रैल 2016 से लागू हो जायेगा। आइए, अब हम इस बजट के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं।

मोदी सरकार का यह दूसरा आम बजट है। गौरतलब है कि 25 फरवरी को रेलवे बजट पेश किया गया था। मोदी सरकार के मौजूदा आम बजट पर ‘बिहार’ की हार का असर साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब एनडीए द्वारा अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया था, तब उन्होंने चुनाव-रैलियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘मेरी सरकार किसानों और गांवों के रडार पर होगी’। परंतु जब वह प्रधानमंत्री बने तो शायद इस वादे को भूल गये या फिर उन्होंने इसे भी एक प्रकार का चुनावी जुमला ही मान लिया। बिहार की हार के बाद प्रधानमंत्री शायद यह समझ गये हैं कि उनकी कथनी-करनी में फर्क को मतदाता समझ रहे हैं। इसीलिये इस बार का आम-बजट ‘मेरा गांव-मेरा देश’ की तर्ज पर वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया है।

सबसे पहले बात की जाए कृषिक्षेत्र के लिए किये गये बजटीय प्रावधानों की। वर्ष 2016-17 के लिये कुल 19 लाख 78 हजार 60 करोड़ रुपये का व्यय बजट प्रस्तुत किया गया। यह तो सभी को पता है कि भारत का आम-बजट हमेशा की तरह घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट क्या होता है इस पर किसान भाइयों को ‘कृषि चौपाल’ के आने वाले अंकों में

आम-बजट 2016-17 की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- 2016-17 के लिए कृषिक्षेत्र हेतु 1,285 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए कुल 35,984 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है।
- 9 लाख करोड़ रुपये किसानों को कर्ज बांटने के लिये निर्धारित किये गये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा हैं।
- किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु उपकर (सेस) में 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण कर लगाने का ऐलान किया है।
- किसानों को खड़ी फसल के नुकसान से बचाने के लिये फसल बीमा योजना हेतु 5,500 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त किया गया है।
- दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करने का फैसला लिया गया है।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपये प्राविधानित किये हैं।
- सिंचाई क्षेत्र के लिये 17,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हुए इसमें पर्याप्त वृद्धि की गयी है।
- विभिन्न ग्रामीण विकास मदों दो लाख 87 हजार करोड़ रुपयों के वितरण की व्यवस्था की गयी है।
- ग्रामीण विकास के अंतर्गत 87,765 करोड़ रुपये गांवों के बहुपक्षीय विकास हेतु,
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये 19,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। राज्यों का भी हिस्सा मिला दिया जाए तो कुल 27,000 करोड़ रुपये इस योजना के लिये निर्धारित होते हैं।
- मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों के लिये 38,500 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह राशि विगत वर्ष के मुकाबले 11 फीसद ज्यादा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए मौजूदा बजट में 8,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी 2018 तक भारत के सभी गांवों को रोशन करने का है।
- खाद्य पदार्थों के विपणन और विक्रय में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी है।
- देशभर में सस्ती दवाओं की 3,000 और नई दुकानें खोलने के लिये धन आवंटित किया गया है तथा प्रत्येक जनपद में एक डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गयी है।
- पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने, आधार को कानूनी दर्जा दिलाने, रोजगार के लिए 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने आदि के लिये भी मौजूदा बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करने का बंदोबस्त किया गया है।
- एक अनुमान के मुताबिक गांवों को वितरित किये गये विभिन्न मदों की वित्तीय सहायताओं के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये प्राप्त होंगे।

समय-समय पर जानकारी दी जायेगी। फिलहाल मौजूदा बजट से किसानों को और कृषिक्षेत्र को क्या मिला है इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे।

वर्ष 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए कृषिक्षेत्र हेतु 1,285 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए कुल 35,984 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट प्रस्ताव पढ़ते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले पांच सालों में किसानों की आमदनी को दुगुना करने का है। प्रस्तुत बजट में से 9 लाख करोड़ रुपये किसानों को कर्ज बांटने के लिये निर्धारित किये गये हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा है। कृषि कर्ज तले दबे किसानों को कर्ज के बढ़ते बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि कर्ज पर ब्याज माफी की मद में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। सरकार यहीं नहीं रुकी है। उसने किसान कल्याण मंत्रालय के नव नामकरण को सार्थक करने के लिये किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु उपकर (सेस) में 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण कर लगाने का ऐलान किया है। श्री जेटली ने यह भी वादा किया कि सरकार किसानों को यथासमय और अधिक कर्ज की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगी।

किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान सूखा तथा असमय बारिश और ओलावृष्टि से होता रहा है। किसानों को खड़ी फसल के नुकसान से बचाने के लिये फसल बीमा योजना हेतु 5,500 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गयी है। इस योजना को साकार करने के लिये वित्तमंत्री ने भी दिल खोलकर मदद दी है। इस योजना के तहत काफी कम प्रीमियम पर किसानों की फसलों का बीमा किया जायेगा। बीमित फसल के खराब होने पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा किसान को प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत नुकसान में आयी फसल की आंकलित कीमत का 25 फीसदी मुआवजा तत्काल दे दिया जायेगा।

बिहार में एनडीए की हार के लिये उस दौरान और बिहार चुनावों से पूर्व दालों की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि को भी एक प्रमुख कारण माना गया। केंद्र सरकार उस दौरान दालों की कीमतों में कमी लाने में बुरी तरह नाकाम रही थी। इससे सबक लेते हुए सरकार ने मौजूदा बजट में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान करने का फैसला लिया है। दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये देशभर में 622 जिलों को चिन्हित किया गया है। उत्पादन को बढ़ाने के लिये मिट्टी का परीक्षण किये जाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। सरकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड नि:शुल्क बांट रही है। पेश किये गये बजट में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिये 386 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

किसानों और कृषिक्षेत्र की सूरतेहाल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कृषि-बाजार को डिजिटल करने की तैयारियां चल रही हैं। अनेक मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान श्री जेटली ने राष्ट्रीय एकीकृत कृषि बाजार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये आम किसान तक सुलभ बनाने के लिये इस प्लेटफॉर्म को आगामी 14 अप्रैल को देश को समर्पित करने की घोषणा की। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती भी मनायी जाती है। जाहिर है कि इस प्रकार केंद्र सरकार पांच राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दलित वोटों पर अपना निशाना साधने की तैयारी भी कर रही है।

राष्ट्रीय एकीकृत कृषि बाजार प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' मिशन का ही एक महत्वाकांक्षी अंग है। इसके तहत देश के सभी कृषि बाजारों, मंडियों को परस्पर ऑनलाइन जोड़ दिया जायेगा। किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी सही समय

पर तथा सही दाम पर बेच कर अच्छा मुनाफा कमा सकेगा। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान स्पष्ट कहा कि सभी राज्य कृषि उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करें तथा किसानों से स्थानीय मंडियों से ही उनके उत्पाद खरीदें। उन्होंने गेहूं-धान के अलावा दालों की ऑनलाइन खरीद की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी राज्यों से अपेक्षा की।

गौरतबल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूर्वोत्तर स्थित सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का ओहदा दिया था और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम रियायतों का भी ऐलान किया था। विगत दिनों किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने भी जैविक खेती को पर्याप्त प्रोत्साहन दिये जाने की बात दोहरायी थी। मौजूदा बजट में वित्तमंत्री ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का पर्याप्त ध्यान रखा और इस हेतु 400 करोड़ रुपये प्राविधानित किये हैं। जैविक खेती के विकास के तहत आगामी तीन साल में पांच लाख एकड़ कृषि भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैविक खेती के साथ-साथ परंपरागत कृषि विकास योजना को भी विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने खाद सब्सिडी को सीधा किसानों के खातों में पहुंचाने का ऐलान किया था। पुनः बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने केंद्र सरकार की यह घोषणा दोहरायी। बतौर परीक्षण देश के कुछ चुनिंदा जिलों में इस योजना की शुरुआत की जायेगी। उर्वरक के क्षेत्र में सरकार आमूल-चूल परिवर्तन करने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। मौजूदा बजट में उर्वरक क्षेत्र के लिये 70,039 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। सरकार ने उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता को सीधे किसानों के खातों में पहुंचाने के लिये डीबीटी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने कृषिक्षेत्र की प्रमुख जरूरत खासकर भारत जैसे मानसून आधारित खेतीबाड़ी वाले देश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी मौजूदा बजट में खासा जोर दिया है। विगत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सिंचाई क्षेत्र के लिये 17,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हुए इसमें पर्याप्त वृद्धि की गयी है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के मद्देनजर की गयी वृद्धि दर्शाती है कि सरकार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार ही नहीं करना चाहती है बल्कि उन्हें अधिकाधिक किसानों के लिये सुलभ भी बनाना चाहती है।

सरकार ने ग्रामीण विकास को भी खासी तवज्जो दी है। इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि भारत के अधिकांश किसान गांवों में ही निवास करते हैं। इसलिये ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ग्रामीण विकास मदों में दो लाख 87 हजार करोड़ रुपयों के वितरण की व्यवस्था की गयी है। मनरेगा योजना को उपेक्षित करने का नतीजा भी सरकार देख चुकी है। अब सरकार ने इस योजना को पुनः पर्याप्त बजट आवंटन के साथ कतिपय सुधारों सहित लागू करने का वादा किया है। यह कार्यक्रम हालांकि जारी तो था, परंतु इस कार्यक्रम में सुस्ती आ गयी थी। दरअसल मनरेगा कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में छोटे और मझोले किसान परिवारों और खेतिहर मजदूर परिवारों के लिए खासा फायदेमंद साबित हुआ है। फसल के नष्ट होने पर या अच्छी न होने पर इस कार्यक्रम ने ग्रामीण इलाकों के किसान परिवारों को आजीविका अर्जित करने में खासी सहायता प्रदान की है।

एक अनुमान के मुताबिक गांवों को वितरित किये गये विभिन्न मदों की वित्तीय सहायताओं के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये प्राप्त होंगे। जाहिर है कि गांवों के विकास का और ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का लक्ष्य मौजूदा बजट में निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण विकास के अंतर्गत 87,765 करोड़ रुपये गांवों के बहुपक्षीय विकास हेतु, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये 19,000 करोड़ रुपये तथा राज्यों का भी हिस्सा मिला दिया जाए तो कुल 27,000 करोड़ रुपये इस योजना के लिये निर्धारित होते हैं। मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों के लिये 38,500 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। यह राशि विगत वर्ष के मुकाबले 11 फीसद ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यहां तक कहना है कि मनरेगा के प्रति उदासीनता के चलते ही एनडीए ने बिहार में अपनी लुटिया डुबोयी। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि क्षेत्र या नकद मजदूरी वाले कामधंधों पर आजीविका के लिए निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए मौजूदा बजट में 8,500 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य आगामी 2018 तक भारत के सभी गांवों को रोशन करने का है। सरकार ने अंर्तेदशीय स्तर पर उत्पादित तथा तैयार किये जाने वाले खाद्य पदार्थों के विपणन और विक्रय में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत दे दी है। जाहिर है कि सरकार के इस कदम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी और अधिकाधिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में रोजगार प्राप्त होगा। ग्रामीण विकास के लिये मौजूदा बजट में जो घोषणाएं की गयी हैं उनसे ढांचागत सुधार में तेजी आयेगी। गांवों के ढांचागत सुधार से विभिन्न कंपनियों को गांवों में अपनी ईकाइयां स्थापित करने में सहायता मिलेगी और व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी। खासकर गांव आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

गांवों के हिस्से में मौजूदा बजट से खासे लाभ आये हैं। एक अनुमान के मुताबिक गांवों को वितरित किये गये विभिन्न मदों की वित्तीय सहायताओं के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये प्राप्त होंगे। जाहिर है कि गांवों के विकास का और ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का लक्ष्य मौजूदा बजट में निर्धारित किया गया है। इन प्रावधानों के अलावा ग्रामीण भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी खासा धन आवंटित किया है। देशभर में सस्ती दवाओं की 3,000 और नई दुकानें खोलने के लिये धन आवंटित किया गया है तथा प्रत्येक जनपद में एक डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गयी है। गरीबों के लिए एक लाख रुपये तक की कवरेज सुविधा प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना संचालित करने की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत मामूली प्रीमियम पर गरीब व्यक्ति के पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। गौरतलब है कि इसी तरह की एक बीमा योजना- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) नाम से चल रही थी, जिसके तहत 50 हजार रुपये तक का बीमा कवर बीमित व्यक्ति व उसके परिवार को दिया जाता था। नयी घोषित बीमा योजना भविष्य में आरएसबीवाई का स्थान लेगी। नयी योजना में यह भी प्राविधानित किया गया है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 30 हजार रुपया अतिरिक्त बीमा लाभ प्रदान किया जायेगा।

पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने, आधार को कानूनी दर्जा दिलाने, रोजगार के लिए 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने आदि के लिये भी मौजूदा बजट में पर्याप्त राशि आवंटित करने का बंदोबस्त किया गया है। इन क्षेत्रों के विकास से ग्रामीण भारत को भी खासा लाभ मिलेगा यह निश्चित है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट को अपना ड्रीम बजट करार देते हुए गांव, गरीब और किसान समर्थक ठहराया है। ●

नई फसल बीमा योजना

सुरक्षा के घेरे में खेती-किसानी

■ **गणेश चन्द्र पाण्डे**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी तक की सभी फसल बीमा योजनाओं से बेहतर कही जा सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि यह किसानों को खेतीबाड़ी की ओर रुख कराने में सहायक होने के साथ-साथ किसानों की दु:खद आत्महत्याओं के सिलसिले को भी थामने में मददगार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहिड़ी, पोंगल और बीहू तथा मकर संक्रांति के अवसरों को इस फसल बीमा योजना की घोषणा के लिये चुनकर यह भी साबित कर दिया कि वे एक अच्छे 'इवेंट ऑर्गनाइजर' भी हैं।

गौरतलब है कि लोहिड़ी, पोंगल तथा बीहू किसानों द्वारा प्रमुखता से मनाये जाने वाले त्योहार हैं। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाये जाते हैं। उत्तर भारत में जहां यह 'लोहिड़ी' के नाम से मनाया जाता है वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत में यह 'पोंगल' नाम से मनाया जाता है जबकि पूर्वी भारत में इसे 'बीहू' नाम से मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति तो पूरे भारत वर्ष में गंगा स्नान और पूजन का पावन अवसर माना जाता है तथा इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। इस संक्राति और त्योहारों के संयोग और उत्साह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा ने और अधिक सुखद बना दिया।

इसी वर्ष आगामी एक अप्रैल से यह नयी फसल बीमा योजना लागू हो जायेगी तथा खरीफ की फसल से किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। इस नयी फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा बहुत सतर्कता से आगे बढ़ाया जा रहा है। नयी फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम की दर 1.5 फीसदी रबी की फसल के लिये तथा दो फीसदी खरीफ की फसल के लिये निर्धारित की गयी है। महंगी फसलों मसलन बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों की उपजों का बीमा प्रीमियम 5 फीसदी तय किया गया है। किसान अपनी उपज का औसतन डेढ़ सौ फीसदी तक का फसल बीमा करा सकेंगे।

नयी बीमा योजना में फसल की खेतों में बुआई से लेकर कटाई और उपज को खलिहान तक लाने का बीमा होगा। यानि जब तक उपज किसान के घर तक नहीं पहुंच जाती तब तक किसी भी स्टेज पर फसल को यदि नुकसान पहुंचता है तो बीमा लाभ प्राप्त होगा। जबकि अभी तक केवल खड़ी फसल का ही बीमा किया जाता था और प्रीमियम राशि भी 15 फीसदी देनी पड़ती थी। उस पर 11 फीसदी कैपिंग के चलते किसानों को उपज की क्षति का पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता था। दरअसल कृषि राज्य का विषय होने के कारण फसल बीमा के अजीबोगरीब नियम बीमा कंपनियों तथा संबंधित राज्यों द्वारा बनाये गये थे। यही कारण है कि संपूर्ण देश के सिर्फ 23 फीसदी किसान ही फसल बीमा योजनाओं से जुड़े हैं।

नई फसल बीमा योजना में कैपिंग को समाप्त कर दिया गया है तथा अब प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसानों को 100 प्रतिशत उपज का मुआवजा दिया जायेगा। प्रीमियम की राशि अधिक होने पर सरकार द्वारा 90 फीसदी तक माली मदद की जायेगी। फसल को होने वाले नुकसान के आंकलन के लिये पुराने पड़ चुके तरीकों को भी बदला गया है। कम प्रीमियम तथा बड़े बीमा लाभ वाली इस योजना से किसानों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। महज 15 फीसदी प्रीमियम अदा करने पर 100 प्रतिशत मुआवजा किसान को दिया जायेगा तथा शेष पांच गुना प्रीमियम राशि का 50 फीसदी संबंधित राज्य सरकार तथा शेष 50 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी। नयी आंकलन पद्धति में तहसील तथा विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों को स्मार्टफोन से लैस किया जायेगा। दूरसंवेदी उपग्रहों की सहायता लेते हुए ड्रोन से क्षति आंकलन की प्रक्रिया को संबद्ध किया जायेगा।

किसान को फसल के नुकसान की स्थिति में बीमा राशि का 25 फीसदी तुरंत दे दिया जायेगा और बाकी 75 फीसदी राशि का भुगतान अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर कर दिया जायेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का इरादा मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल के समाप्त होने तक देश के 50 फीसदी किसानों को फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल करने का है। किसान कल्याण मंत्रालय तथा अन्य संगठनों-संस्थानों के अनुमानों के मुताबिक वर्तमान में लगभग 14 करोड़ किसान परिवारों को फसल बीमा योजना के दायरे में लाने के लिये लगभग 20,000 करोड़ रुपयों का प्रबंध सरकारों को करना होगा।

आर्थिक एवं विपणन से जुड़ी गतिविधियों के विश्लेषण एवं शोध से जुड़ी संस्था एसोचैम की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 80

फीसदी किसान आज भी मौसम की मेहरबानी पर खेतीबाड़ी के लिये निर्भर हैं। प्राकृतिक आपदाओं मसलन-अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलाबारी, बाढ़, सूखा, जलभराव आदि की स्थिति में उन्हें फसल बीमा का कोई फायदा मयस्सर नहीं होता है। पुरानी बीमा योजनाओं का लाभ केवल बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिल पाता था। यानि वे फसल बीमा योजनाएं एक तरह से कृषि-कर्ज योजनाओं जैसी थीं। नयी फसल बीमा योजना का लाभ बैंक से कर्ज नहीं लेने वाले किसान को भी प्राप्त होगा। अब प्रत्येक वर्ग- छोटा, मंझला और बड़ा किसान फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस नयी योजना का सर्वाधिक लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा जैसे राज्यों के किसानों को प्राप्त होगा। इस प्रकार उन किसानों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी जिनकी खेतीबाड़ी ज्यादा जोखिम में रहती है।

दरअसल अभी तक सभी किसान फसल-बीमा योजनाओं के ऊल-जुलूल नियमों के चलते इन योजनाओं से दूर ही रहते थे। दूसरा कारण इन योजनाओं का बैंक कर्ज योजनाओं से जुड़ाव था। कुछ सूबों में प्राकृतिक आपदाओं का आंकलन पूरे विकासखंड की उपज के नुकसान पर आधारित था तो कुछ सूबों में तालुका स्तर पर फसल को नुकसान होने पर फसल बीमा क्लेम प्रदान किया जाता था। इन विसंगतियों को नई फसल बीमा योजना में हटा दिया गया है तथा नियमों का सरलीकरण करते हुए योजना को संपूर्ण देश के लिए एक समान बनाया गया है और संपूर्ण देश में प्रीमियम राशि को भी समान रखा गया है। बीमा कंपनियों पर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। बड़े राज्यों में दो बीमा कंपनियों को तथा छोटे राज्यों में एक बीमा कंपनी को इस योजना का जिम्मा सौंपा जायेगा।

अभी तक यह होता आया है कि बीमा योजना में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा कंपनियां किसानों की पिछले एक दशक की कुल उपजों तथा आय का औसत निकालती थीं। इसके आधार पर बीमा दावे की राशि तय की जाती थी और इसके बावजूद बीमा कंपनियां मात्र 33 प्रतिशत हिस्सा ही बीमा दावे का वहन करती थी तथा शेष राशि का दो हिस्सों में बराबर-बराबर भुगतान राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को सब्सिडी के रूप में किया जाता था। जाहिर है कि अनेक राज्य इसी कारण कृषि बीमा योजनाओं को लागू करने से कतराते थे। यही कारण है कि अनेक कृषि प्रधान राज्यों में किसानों की दु:खद आत्महत्याओं की घटनाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद कृषि बीमा योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। हाल यह है कि पंजाब एवं हरियाणा में फसल बीमा की अधिसूचना तक यह कहते हुए टाली जाती रही है कि इन राज्यों के 100 प्रतिशत सिंचित होने के चलते किसानों को किसी क्षति की आशंका नहीं है। वर्तमान फसल बीमा कंपनियां फसल या उपज की क्षति के आंकलन के लिये तथा प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी के लिये रेडियो, अखबारों, टेलीविजन आदि सूचना माध्यमों पर आश्रित होती हैं। उनका स्वयं का कोई तंत्र इस हेतु नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये बीमा कंपनियां फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपराजस्व निरीक्षकों, लेखपालों, कृषि अधिकारियों आदि पर निर्भर हो जाती हैं। वास्तविक प्रीमियम अदा करने वाले किसान से उनका संपर्क नहीं होता है। जाहिर है बीमा कंपनियां और नुकसान का आंकलन करने वाले सरकारी कर्मचारी मिलकर नुकसान को कम से कम दिखाते हैं। इस दोषपूर्ण प्रणाली के चलते अनेक अवसरों पर सरकारी स्तर से किसानों को दी जाने वाली राहत राशि के अंतर्गत 50 या 100 रुपये के चेक जारी करने की हास्यास्पद घटनाएं भी प्रकाश में आती रही हैं। परंतु नयी बीमा योजना में राजस्य विभाग की क्षति सर्वेक्षण रिपोर्ट को सभी फसल बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा मान्य करना अनिवार्य कर दिया गया है।

काफी संशोधनों के बावजूद नयी फसल बीमा योजना में अनेक गंभीर खामियां अब भी रह गयी हैं। आगजनी और जानवरों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर फसल बीमा दावा स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार बटाईदारी को लेकर भी इस फसल बीमा योजना में पर्याप्त संशोधन नहीं किये गये हैं। जाहिर है कि बटाईदार जोकि उधार का किसान कहलाता है, इस फसल बीमा योजना से लाभान्वित नहीं होगा बल्कि उसकी मेहनत पर मौसम की मार पड़ने से उसके मालिक को यानि भूस्वामी को फायदा होगा। उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में जंगली जानवरों से खेती को भारी नुकसान होता है लेकिन ये राज्य इस फसल बीमा योजना से अधिक लाभ नहीं पा सकेंगे। नयी फसल बीमा योजना इस बारे में भी खामोश है कि जब किसी किसान की भूमि नदी-जोहड़ के किनारे होने पर जलप्रवाह के कारण नष्ट हो जायेगी तो उसे बीमा लाभ मिलेगा या नहीं। क्योंकि यह फसल बीमा योजना बुआई के बाद लागू होती है यदि बुआई से पहले किसी किसान का खेत बाढ़ या भू-कटाव का शिकार हो जाता है तो उसे नयी फसल बीमा योजना में पात्र ही नहीं माना जा सकता है। ●

यह भी जानें

साल 2010 से चली आ रही संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्रीमियम की राशि ज्यादा हो जाने की स्थिति में एक कैप निर्धारित रहती थी जिसके चलते सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, फलस्वरूप कृषक को मिलने वाली बीमा दावा राशि में भी आनुपातिक रूप से कमी आ जाती थी।

1. **जैसे कि यदि किसी फसल के लिए वास्तविक प्रीमियम 11 प्रतिशत था तो किसान को 15 हजार रुपये की बीमित राशि पर कैप के कारण केवल 450 रुपये तथा सरकार को 1200 रुपये बीमा प्रभार अदा करना पड़ता था। यदि फसल का शत-प्रतिशत नुकसान हो जाता था तो उस स्थिति में किसान को सिर्फ 7500 रुपये की दावा राशि से ही संतोष करना पड़ता था।**
2. **संशोधित बीमा योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् 15 हजार बीमित राशि पर 11 प्रतिशत वास्तविक बीमा प्रभार आने पर किसान केवल 300 रुपये जमा करायेगा। तथा शेष 3000 रुपये सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। फसल को पूरा नुकसान हो जाने पर भी किसान को 15000 रुपये की पूरी बीमित राशि का दावा स्वीकृत होगा। स्पष्ट है कि यहां किसान का प्रीमियम घटकर 450 रुपये से 300 रुपये हो गया है और उसको प्राप्त हो सकने वाली दावा राशि दुगुनी होकर 15000 रुपये हो गयी है।**
3. **यदि कोई किसान प्राकृतिक आपदा के चलते बुआई नहीं कर पाता है तब भी वह बीमा दावा राशि का पात्र होगा।**
4. **ओलाबारी, जलभराव और भूस्खलन जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना गया है।**
5. **फसल की मड़ाई पूर्व क्षति को भी इसमें शामिल किया गया है। मसलन यदि फसल कटने के बाद भी दो हफ्ते तक खेत में ही रह जाती है और उस दौरान कोई प्राकृतिक आपदा घटित होती है और फसल नष्ट हो जाती है तो भी किसान को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।**
6. **नयी फसल बीमा योजना के अंतर्गत नवीन तकनीकी का भरपूर उपयोग किया जायेगा। ताकि फसल कटाई नुकसान का सर्वेक्षण शीघ्रता से और सही-सही किया जा सके। साथ ही किसानों को बीमा दावे का भुगतान भी जल्दी सुनिश्चित किया जा सके।**

ब्रिटिश राज दे गया विलायती बबूल का शूल

ब्रिटिश राज के दौरान इस वनस्पति को भारत में हरियाली बढ़ाने के लिये भारी पैमाने पर रोपित किया गया था। आज यह वनस्पति भारत की कृषिभूमि की छाती पर शूल जैसी चुभ रही है।

■ **दिनेश जोशी**

विलायती बाबुओं और विलायती बबूल ने भारत को गुलामी के दौर में तो नुकसान पहुंचाया ही, ये आज भी भारत भूमि को अपने दुष्प्रभावों से दु:खी किये हुए हैं। विलायती बाबू जहां जाते-जाते इस मुल्क को बंटवारे के रूप में एक ऐसा दर्द और दु:ख दे गये, जिसने सीमाओं के दोनों ओर आज भी अपना असर कायम रखा है। वहीं वे विलायती बबूल को भारत भूमि के सीने में रोपकर एक ऐसा कांटा चुभो गये जो भारतीय प्रायद्वीप की रत्नगर्भा धरा के धरातल को तो विदीर्ण कर ही रहा है, इसकी काया से अमृततुल्य जल रूपी रक्त भी चूस रहा है। इस विलायती बबूल ने दुनिया के हर उस मुल्क की भूमि को विदीर्ण कर दिया है, जिस मुल्क में ब्रिटिश क्राउन का राज रहा था। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सहित आंशिक यूरोप के अधिकांश देश विलायती बबूल और इसी तरह की अन्य हानिकारक वनस्पतियों के तेजी से फैल रहे जंगलों के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरणीय और कृषिकरणीय चुनौतियों से जूझ रही हैं।

अंग्रेजों ने भारत से उसकी पारंपरिक कृषि, पारंपरिक उद्योग धंधे, संस्कृति तो छीनी ही साथ में भारत की प्राकृतिक सुंदरता तथा जीवनदायिनी आबोहवा भी लूट ली। फिरंगी भारत को छोड़ने से पहले अनेक ऐसी अपसंस्कृतियां और वनस्पतियां दे गये जो आज भारत के लिये चुनौती बन गयी हैं। ऐसी ही एक वनस्पति है विलायती बबूल- जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस जूलीफलोरा है। ब्रिटिश राज के दौरान इस वनस्पति को भारत में हरियाली बढ़ाने के लिये भारी पैमाने पर रोपित किया गया था। आज यह वनस्पति भारत की कृषिभूमि की छाती पर शूल जैसी चुभ रही है। भारत की लगभग 56 लाख हेक्टेयर भूमि विलायती बबूल के कांटों की चुभन झेल रही है। यह तेजी से फैल रही पर्यावरणरोधी तथा काश्तकारों की दुश्मन वनस्पति मवेशियों के चरने के घास के चारागाहों को भी अपनी चपेट में ले रही है। नीलगिरी के शोलाशाल के मैदान, जैसलमेर के सेवनशस के मैदान, जोधपुर, बीकानेर के चारागाह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात के चारागाह भी इस विलायती बबूल के कारण रूखे हो चले हैं।

इसी प्रकार की एक और पर्यावरण विरोधी वनस्पति अमरीका से हमें पिछली सदी में साठ के दशक के दौरान तोहफे में मिली है। उस दौरान सूखा तथा अकाल के कारण भारत में गेहूं आदि खाद्यान्नों की भारी कमी हो गयी और उस समय देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी नहीं था। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा विदेशों से गेहूं तथा अन्य खाद्यान्न आयात किया गया साथ ही कुछ खाद्यान्न विदेशी मुल्कों द्वारा राहत के तौर पर भी भारत को दिया गया। उसी दौरान अमरीका से भारत पहुंचे गेहूं के साथ एक पर्यावरण विरोधी या यूं कहें कि पर्यावरण तथा कृषि विरोधी वनस्पति के बीज भारत पहुंचे जिसका वनस्पति नाम लैन्टाना अमरीकाना है। यह 'कुरी' नाम की झाड़ी की तरह उगने वाली वनस्पति न केवल पर्यारण के लिये खतरनाक है अपितु मवेशियों के लिये तो यह काल सदृश है।

कुरी वनस्पति मैदानी क्षेत्र के लिये तो हानिकारक साबित हो ही रही है पर्वतीय क्षेत्रों के लिये तो यह और भी घातक साबित हो रही है। खासकर पथरीले और कंकरीले क्षेत्रों में यह वनस्पति बहुत नुकसान देह साबित हो रही है। इस वनस्पति से होने वाले नुकसानों पर अभी अध्ययन प्राथमिक चरण में हैं। लेकिन विलायती बबूल पर हुए विभिन्न शोधों से यह साबित हो चुका है कि यह वनस्पति भारत भूमि का खून चूस रही है। दिल्ली विश्व विद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्राचार्य एवं पूर्व कुलपति सीआर बाबू विगत लंबे समय से विलायती बबूल के पर्यावरण और जैवविविधता पर दुष्प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचार्य बाबू का कहना है कि विलायती बबूल न सिर्फ स्वयं नुकसानदेह है बल्कि यह वनस्पति अन्य वनस्पतियों के अस्तित्व तथा विकास के लिये भी खतरनाक साबित हो चुकी है। विलायती बबूल विगत लगभग 125 वर्षों के दौरान भारत में लगभग 500 वनस्पतियों को खत्म कर चुका है।

विलायती बबूल के दुष्प्रभावों पर अध्ययन करने वाले एक और अन्य पर्यावरणविद् आर जेवारामान ने साल 2004 में ही आगाह कर दिया था कि यह वनस्पति पानी के स्तर के लिये भी अत्यंत खतरनाक है। तमिलनाडु में पीडब्लूडी में बतौर सीनियर इंजीनियर तैनात आर जेवारामान ने स्थानीय गुंदर नदी बेसिन क्षेत्र में किये गये अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में यह स्पष्ट किया कि यह वनस्पति न सिर्फ पानी को तेजी से सोखती है बल्कि अपने इर्द-गिर्द की जलवायविक नमी को भी शुष्कता में बदल देती है यानि जहां विलायती बबूल होगा, वहां मौसम

पहाड़ी क्षेत्रों में कुरी ने भी अनेक स्थानीय वनस्पतियों तथा पेड़-पौधों के अस्तित्व और विकास को खतरा पैदा कर दिया है। कुरी वनस्पति को पालतू मवेशी चर तो लेते हैं परंतु यह वनस्पति इतनी खुश्क होती है कि यह उनकी आंतों में ही चिपक कर रह जाती है और यदि लक्षण देखकर समय पर इलाज नहीं किया गया तो मवेशी की मौत हो जाती है।

खुश्क होगा। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में कुरी ने भी अनेक स्थानीय वनस्पतियों तथा पेड़-पौधों के अस्तित्व और विकास को खतरा पैदा कर दिया है। कुरी वनस्पति को पालतू मवेशी चर तो लेते हैं परंतु यह वनस्पति इतनी खुश्क होती है कि यह उनकी आंतों में ही चिपक कर रह जाती है और यदि लक्षण देखकर समय पर इलाज नहीं किया गया तो मवेशी की मौत हो जाती है।

विलायती बबूल के कारण जंगली कदम, कुल्लू, खेजड़ी, अंतमूल, हींस, केम, करोल, लसौड़ जैसी पर्यावरण मित्र देशी वनस्पतियां लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। विलायती बबूल की हरियाली को देखकर- 'सावन के अंधे को हरा ही दिखता है', जैसी मिसाल याद हो आती है। ऐसी हरियाली का क्या करना है जो जमीन को ही बंजर कर दे। जिस जमीन पर विलायती बबूल उगता है वहां पर और कोई अन्य वनस्पति नहीं उग सकती है। विलायती बबूल तथा कुरी, कार्बन का अवशोषण भी अत्यंत कम मात्रा में करते हैं स्पष्ट है कि इनका पर्यावरणीय महत्व भी नहीं है।

विलायती बबूल से हमारी खेती-जमीन-जलवायु ही दुष्प्रभावित नहीं हो रही हैं बल्कि यह पक्षियों की प्रजातियों को भी हतोत्साहित कर रहा है। प्राचार्य बाबू ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि दिल्ली तथा इसके आस-पास के रिज इलाके में पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया है कि जबसे इस क्षेत्र में विलायती बबूल को नियंत्रित करने की परियोजना पर काम शुरू हुआ है तब से पक्षियों की प्रजातियों में उत्साहजनक बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। विलायती बबूल की जड़ें भी काफी गहराई तक जाती है जो 21 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि इसकी जड़ें उन इलाकों में तेजी से फैल रही हैं जहां पहले से ही पानी का संकट मौजूद है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में 172, उत्तर प्रदेश में 111, हरियाणा में 61 तथा दिल्ली में 18 क्षेत्रों को विलायती बबूल के दुष्प्रभावों के चलते 'डार्कजोन' के तौर पर चिन्हित किया गया है। गौरतलब है कि डार्कजोन उस क्षेत्र को कहा जाता है, जहां कि भूजल संपदा का दोहन काफी हो चुका है तथा जलस्तर काफी निचले स्तर पर विद्यमान होने के साथ-साथ काफी तेजी से घट भी रहा है।

विलायती बबूल, कुरी आदि पर्यावरणरोधी वनस्पतियों की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति यह होती है कि यह गिरते हुए जलस्तर का पीछा करती हैं। अर्थात इन वनस्पतियों की जड़ें गिरते हुए जलस्तर वाले क्षेत्र में भूमिगत जल के गिरते हुए स्तर का पीछा करते हुए उतनी गहराई तक पहुंचने में सक्षम हैं, जितनी गहराई पर जल स्तर मौजूद होता है। विलायती बबूल कितना पानी सोखता है अभी इसका अध्ययन होना बाकी है।

विलायती बबूल के भारी नुकसानों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने दुनिया के अधिकांश मुल्कों में भी काश्तकारों और सरकारों के लिये चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र के ही एक निकाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक मसौदा तैयार कर उसे अनेक देशों में स्थानीय सरकारों के माध्यम से लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा यह मसौदा वर्ष 2014 में तैयार किया गया था। इस मसौदे में विलायती बबूल सहित अन्य अनेक हानिकारक पेड़-पौधों की रोकथाम और उनको फैलने से रोकन के उपायों को शामिल किया गया है।

अकेले अफ्रीका महाद्वीप के देश इथोपिया में लगभग आठ लाख हेक्टेयर, केन्या में छह लाख हेक्टेयर, दक्षिण अफ्रीका की 18 लाख हेक्टेयर भूमि विलायती बबूल से आच्छादित हो चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में भी भारी पैमाने पर विलायती बबूल के जंगल तेजी से फैल रहे हैं। भारत के बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी 2014 में तैयार किये गये नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान में विलायती बबूल सहित अन्य हानिकारक पौधों को नियंत्रित करने के उपायों को शामिल किया गया है। इस एक्शन प्लान के अंतर्गत हानिकारक वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों का राष्ट्रीय डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मानना है कि जैव-विविधिता को बचाने के लिये मानवजनित पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को ही हतोत्साहित करना जरूरी नहीं है बल्कि हानिकारक वनस्पतियों पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है।

दरअसल दोष किसी वनस्पति का नहीं है बल्कि हमारी जैव-विविधता प्रबंधन का है। एक कहावत है कि कोई भी वनस्पति औषधीय गुण से रिक्त नहीं है। हम किस वनस्पति या व्यक्ति का क्या उपयोग करते हैं यह महत्वपूर्ण है। कायर को सैनिक और नर्तक को दार्शनिक नहीं बनाया जा सकता है। स्पष्ट है कि बबूल भी उसी तरह पैदा किया जाना चाहिए जिस तरह उसका उपयोग हो सके। यदि उसके फैलाव पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो वह अधिकाधिक भूमि को घेरेगा। कहां पर क्या उपज ली जाये यह तय होना चाहिए। ●

जीरे की उन्नत खेती

हमारे देश में जीरे की खेती मुख्यत: अभी तक राजस्थान तथा गुजरात में होती आयी है। वर्तमान में राजस्थान में देश की कुल जीरा पैदावार का लगभग 30 प्रतिशत और गुजरात में लगभग 46 प्रतिशत जीरा उत्पादित किया जा रहा है। जीरे की प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में राजस्थान, गुजरात से काफी पीछे है।

■ महेश पपनै

आम मसालों में जीरा सबसे महंगा और स्वादिष्ट मसालों में शुमार किया जाता है। अन्य भारतीय मसालों की भांति यह मसाला न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाने और उसको सुपाच्य बनाने के लिए विभिन्न खान-पान वाली चीजों में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अपने उत्तम औषधीय गुणों के कारण भी इसकी मौजूदगी मसालों की पोटली में काफी जरूरी मानी जाती है। हमारे देश में इसकी खेती मुख्यत: अभी तक राजस्थान तथा गुजरात में होती आयी है। वर्तमान में राजस्थान में देश की कुल जीरा पैदावार का लगभग 30 प्रतिशत और गुजरात में लगभग 46 प्रतिशत जीरा उत्पादित किया जा रहा है। जीरे की प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में राजस्थान, गुजरात से काफी पीछे है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में गुजरात में जीरे की लगभग 550 किग्रा. प्रति हेक्टेयर की उपज ली जा रही है, वहीं राजस्थान में यह 380 किग्रा. प्रति-हेक्टेयर पर ही बहुत समय से अटकी हुई है।

भूमि और मिट्टी

जीरे की पैदावार बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। जिस भूमि में जीरे की खेती करनी हो उसमें पानी के निकास की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिये। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद दूसरी जुताई हैरो से की जानी चाहिये। बाद में पाटा लगाकर मिट्टी को हल्का भुरभुरा कर लेना चाहिये। जीरे की बुआई का सही समय नवंबर माह है। बुआई के समय तापमान 24 से 28 सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिये तथा इसकी बढ़वार के समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिये। जीरे की बुआई छिड़काव विधि से करते हुए या 25 सेमी की दूरी पर पंक्तियों में करते हुए फसल उगने के बाद खेत में किसी अच्छी जैविक खाद या गोबर की खाद का छिड़काव करना चाहिये। इसकी बुआई 1/5 सेमी से ज्यादा गहराई में नहीं की जाती है तथा एक हेक्टेयर खेत के लिये 12 किग्रा बीज पर्याप्त होता है।

खाद तथा उर्वरक

किसी भी फसल में खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करने से पहले जहां हम उस फसल की पैदावार ले रहे हैं वहां की मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिये। आजकल तो सरकारी स्तर से भी मृदा परीक्षण के लिये काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मौजूदा केंद्र सरकार ने बाकायदा किसानों की इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए मृदा परीक्षण कार्ड जारी किये हैं। सामान्य परिस्थितियों में जीरे की फसल लेने के दौरान, फसल की बुआई से पहले पांच टन गोबर या कम्पोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की आखिरी जुताई से पूर्व खेत में छिड़कर फिर भली प्रकार जुताई कर देनी चाहिये ताकि खाद खेत में भलीभांति मिल जाये। यदि आप रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहते हों तो बुआई के समय 65 किलो डीएपी व 9 किलो यूरिया मिलाकर खेत में डालना चाहिये। पहली सिंचाई पर फिर 33 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिये।

सिंचाई

जीरे की बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करनी जरूरी होती है। हल्की सिंचाई इसलिये की जाती है कि तेज बहाव के कारण बीज खेत में अस्त-व्यस्त न हो जायें। इस सिंचाई के 7 से 10 दिन बाद दूसरी सिंचाई करनी चाहिये। इस सिंचाई से फसल में अच्छा अंकुरण होता है और खेत की पपड़ी का बीज के अंकुरण और जमाव पर काफी कम असर पड़ता है। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो शुष्क कृषि इलाकों में एक और सिंचाई 7-10 दिन में कर लेनी चाहिये। अन्यथा फसल में दाना बनने तक 20-22 दिन के अंतराल पर तीन बार सिंचाई करनी चाहिये। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि फसल पकते समय जीरे में सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। जीरे की सिंचाई के लिये फव्वारा विधि सर्वोत्तम मानी जाती है।

फसल का खरपतवार नियंत्रण

जीरा एक नाजुक मिजाज की फसल है, इसलिये इस फसल पर फसल की बढ़वार के प्रथम चरण में खरपतवारों का हमला तेजी से होता है। इसका कारण यह है कि प्रथम चरण में जीरे की फसल की बढ़वार काफी धीमी गति से होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के दौरान, बुआई से दो दिन बाद तक पेन्डी मैथलिन (स्टोम्प) नामक रासायनिक खरपतवारनाशी की लगभग सवा तीन लीटर मात्रा, 500 लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव करना चाहिये। इसके एक माह बाद फसल की एक हल्की और अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिये। यदि मानव श्रम की समस्या हो तो रासायनिक खरपतवारनाशी ऑक्सीडाईजारिल (रापट) की 750 मिली मात्र

एक हेक्टेयर जीरे की खेती पर लगभग 32,000 रुपये की लागत आती है और सही भाव मिलने पर 42,000 रुपये का मुनाफा मिल सकता है।

को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल खेत में छिड़काव कर दें।

फसल चक्र

एक ही खेत में लगातार तीन सालों तक जीरे की खेती नहीं करनी चाहिये। ऐसा करने पर इसकी फसल को उखटा रोग के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीरे की अच्छी खेती लेने के लिए बाजरा-जीरा-मूंग-गेहूं- बाजरा-जीरा इस प्रकार का तीन वर्षीय फसल चक्र अच्छा होता है।

कीट तथा रोग नियंत्रण

जीरे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट हैं- चैंपा या एफिड, दीमक। मुख्य रोग हैं- उखटा, झुलसा और छाछया। कीट एवं रोग नियंत्रण के लिये हमारे किसान भाइयों को अपने कृषि जिला अधिकारी या संबंधित अधिकारी से संपर्क अवश्य करना चाहिये।

चैंपा या एफिड कीट का प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिये इमिडाइक्लोपिड की आधा लीटर मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये। इस कीट का प्रयोग प्राय: फसल में फूल आने की अवस्था में होता है। इसलिये यह कीट पौधों के कोमल अंगों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है।

दीमक जीरे के पौधों की जड़ों को काटकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे फसल को बचाने के लिये खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय क्लोरोपइरीफॉस या क्यूनालफॉस की 20 से 25 किग्रा मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में भुरकाव करनी चाहिये। खड़ी फसल पर दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफॉस की 2 लीटर मात्रा लेकर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ खेत को देनी चाहिये। इसके अलावा दीमक के खतरों से बचने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस की 2 मिली मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करते हुए बीज की बुआई करनी चाहिये।

उखटा एक ऐसा रोग है जो फसल को किसी भी अवस्था में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फसल की प्रारंभिक अवस्था में इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिये। सदा प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिये। जिस खेत में जीरे की फसल लेनी हो, उस खेत में ग्रीष्म ऋतु में जुताई अवश्य करनी चाहिये। यदि बुआई के बाद फसल में रोग के लक्षण दिखायी दें तो 2.5 किग्रा ट्राइकोडर्मा को 100 किलो कम्पोस्ट के साथ मिलाकर फसल पर छिड़काव कर देना चाहिये तथा हल्की सिंचाई करनी चाहिये।

इसी प्रकार का एक रोग है झुलसा। यह रोग अनेक फसलों में प्राय: फूल आने के पश्चात आसमान में बादल होने पर लगता है। इस रोग का प्रकोप होने पर पौधों का ऊपरी भाग झुक जाता है और पत्तियों व तनों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मेंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिये। इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक और घातक 'छाछया' नामक रोग है। इस रोग का प्रकोप होने पर जीरे का पौधा सफेद रंग के पाउडर से आच्छदित हो जाता है और बीज में दाने नहीं बनते हैं। इस रोग को काबू में करने के लिये रोग के लक्षण दिखते ही त्वरित उपचार अपनाना चाहिये। बीमारी के नियंत्रण के लिये गन्धक का 25 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर भुरकाव करना चाहिये या एक लीटर कैराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

जीरे की फसल में कीट तथा रोगों के आक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है, अत: किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए जीरे की फसल में निम्नलिखित तीन छिड़काव जरूर करने चाहिये:-

1. मेंकाजेब 2 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से खेत के रकबे के अनुसार घोल बनाकर पहला छिड़काव फसल की बुआई के 30 से 35 दिनों की अवधि में कर देना चाहिये।
2. 45-50 दिनों की अवधि के भीतर 2 ग्राम मेंकाजेब, 250 मिली. इमिडाइक्लोप्रिड और घुलनशील गंधक की 2 मिली. मात्रा लेकर प्रति लीटर पानी की दर से खेत के रकबे के अनुसार दूसरा छिड़काव कर दें।
3. 2 ग्राम मेंकाजेब, इमिडाइक्लोप्रिड 1 मिली व 2 ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 60 से 70 दिनों पश्चात तीसरा छिड़काव कर देना चाहिये।

उपरोक्त तीन छिड़कावों के अतिरिक्त किसी रोग या कीट और खरपतवार आदि का प्रकोप होने पर उनके नियंत्रण के लिए तुरंत संबंधित रोग नियंत्रणनाशक और कीट नियंत्रणनाशक का मात्रानुसार प्रयोग करना चाहिये।

कटाई और गहाई

जब जीरे का पौधा और बीज सामान्यत: भूरे रंग के हो जायें तो फसल को काट लेना चाहिये। पौधों को भलीभांति सुखा कर क्रैशर से या जो भी आप उचित समझें उस विधि से मंड़ाई करके दाना साफ कर लें और भली प्रकार भण्डारित करें। जब फसल का उचित दाम मिल सकता हो तब इसे बाजार में बेचें। एक हेक्टेयर जीरे की खेती पर लगभग 32,000 रुपये की लागत आती है और सही भाव मिलने पर 42,000 रुपये का मुनाफा मिल सकता है। ●

जैविक खेती में आर्बस्क्युलर माइकोराइजा का योगदान

जैविक खेती कृषि की ऐसी पद्धति है, जिसमें बिना किसी रसायन, उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, तृणनाशकों के उपयोग से स्थानीय सुलभ एवं सस्ते संसाधनों एवं ब्रह्मांड, पृथ्वी, गाय एवं पौधों द्वारा ऊर्जा के समन्वित उपयोग से खेती की जाती है। इस पद्धति द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता, प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किये बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा यह पद्धति सस्ती एवं स्थायी है।

■ **गंगाशरण सैनी**

आधुनिक कृषि प्रणाली में अधिक उत्पादन हेतु किसानों में रासायनिक खादों, कीटनाशकों, फफूंदीनाशक एवं तृणनाशकों के अत्यधिक उपयोग करने का प्रचलन हो गया है। अधिकांश किसान बिना मृदा जांच कराए बिना ही विभिन्न प्रकार के रसायनों का अनावश्यक रूप से असंतुलित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। इसके भंयकर दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। हमारा पर्यावरण (वायु, जल एवं मृदा) तीव्रगति से प्रदूषित हो रहा है। इन विषैले रसायनों के कण वायु एवं आहार श्रृंखला के द्वारा मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहें हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के असाध्य रोग मानव जीवन हेतु बहुत बड़ा खतरा बन गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लाभदायक जीवों की प्रजातियां भी इसी कारणं लुप्त हो रही हैं। हमारी मृदा की भौतिक, रासयनिक एवं जैविक दशा दिनोंदिन तीव्र गति से बिगड़ती जा रही है। पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा हेतु मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने में जैव उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

जैविक खेती कृषि की ऐसी पद्धति है, जिसमें बिना किसी रसायन, उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, तृणनाशकों के उपयोग से स्थानीय सुलभ एवं सस्ते संसाधनों एवं ब्रह्मांड, पृथ्वी, गाय एवं पौधों द्वारा ऊर्जा के समन्वित उपयोग से खेती की जाती है। इस पद्धति द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता, प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किये बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा यह पद्धति सस्ती एवं स्थायी है। जैविक खादों के उपयोग से समस्त पोषक तत्व एक साथ पूरी मात्रा में पौधों को प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही फसलों पर कीटों एवं रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों पर कीटों एवं रोगों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से उत्पादित खाद्य पदार्थ अधिक स्वादिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर एवं रसायनों से मुक्त होते हैं।

विश्व में लगभग 80 मिलियन हैक्टेयर जैविक क्षेत्र है, जिसमें से 31 मिलियन कृषिक्षेत्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में 50 प्रतिशत जंगल, वन और अकृष्य भूमि है, 65 प्रतिशत हरित भूमि पशुओं को चराने के लिए या हरी घास चरने के लिए उपयोग की जाती है। भारत में केवल 0.8 मिलियन क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है, जबकि भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। दूसरी ओर जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, अत: हमारा फोकस इस पर होना चाहिए।

जैव उर्वरक शुद्ध रूप से प्राकृतिक उत्पाद है और टिकाऊ खेती में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये लागत में कम, उपयोग में सरल एव पर्यावरण हितैषी होते हैं। इनका रासायनिक खादों (उर्वरकों) एवं दूसरे पोषक तत्वों के कार्बनिक स्रोतों के साथ विवेकशील उपयोग एवं उचित प्रबंधन से न केवल उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशातीत परिणाम प्राप्त हुये हैं। यही नहीं आंशिक रूप से विभिन्न फसलों में उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति भी हुई है। जैविक उर्वरकों का उपयोग में लाकर मृदा की उर्वराशक्ति कायम रखने एवं वातावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने में हम सफल हो सकते हैं।

उत्पादन प्रौद्योगिकी

इस कल्चर का उत्पादन उपयुक्त मेजबान के साथ संक्रमित रेत एवं मिट्टी के मिश्रण में होता है। इस में अधिक संख्या में कवक बीजाणु, प्रजनक एवं संक्रमित जड़ों के टुकड़े शामिल होते हैं। वाम कल्चर लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में, पौधों, फसलों और वृक्षों के साथ साहचर्य होता है।

उपयोग

- 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आर्बस्क्युलर माइकोराइजा के कल्चर को बीज के निकट डालना चाहिए। इसे बारीक गोबर की खाद, कम्पोस्ट या वर्मीकम्पोस्ट में 1:20 के अनुपात में मिलाकर खेत में बुरक देते हैं। कृषकों को यह सलाह दी जाती है कि जहां तक सम्भव हो विशेष रूप से प्रत्यारोपित की जाने वाली फसलों में बीज की बुआई के पूर्व ही खेत में समान रूप से छिड़क कर कल्चर मिलाना चाहिए।
- पौध रोपण द्वारा लगाई जाने वाली फसलों जैसे धान, टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी, प्याज, आदि

में माइकोराइजा के कल्चर को राख, गोबर की या कम्पोस्ट खाद में भली भांति मिलाकर समान रूप से पौधशाला या क्यारी में छिड़क दें। इसके उपरान्त बीज डाल कर समतल कर देना चाहिए। पौधशाला में आवश्यकतानुसार समय-समय पर पानी डालते रहें।

● बागवानी एवं वानिकी में वाम कल्चर का उपयोग 50-100 ग्राम प्रति पौध की दर से करते हैं। जब पौधे पोलीथीन की थैली में तैयार करने हों तो 20-30 ग्राम कल्चर मिट्टी में मिलाकर थैली में भरें और थैली के बीच में कलम लगाकर पानी देना चाहिए।

● बड़े पौधों एवं बागानों से 200-250 ग्राम कल्चर प्रति पौधे के हिसाब से जुलाई-अगस्त एवं फरवरी-मार्च में पौधे के चारों ओर से 1-2 वर्ग मीटर क्षेत्र में गहरी मिट्टी हटाकर जड़ों के समीप डालें।

मृदा में आर्बस्क्युलर माइकोराइजा (पूसा न्यूट्रीलिंक) जैव उर्वरक उपयोग के लाभ

● कृषि मृदा में आर्वस्क्युलर माइकोराइजा जैव उर्वरक को पुनः शुरुआत करने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में काफी वृद्धि होती है, जिसके कारण फसल की वृद्धि, विकास एवं उत्पादन में भी वृद्धि होती है। पौध वृद्धि एवं फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्वों एवं पानी की आवश्यकता होती है। अस्वस्थ मृदा में आर्बस्क्युलर माइकोराइजा जैव उर्वरक के उपयोग से मृदा की संरचना एवं प्रजनन क्षमता को पुर्नस्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके उपयोग के परिणामस्वरूप मृदा में जल की वृद्धि के संचार की अनुभूति देता है। इनके अतिरिक्त जड़ों की वृद्धि एवं उनके फैलाव को प्रोत्साहित करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों को

धीमी गति से अपघटित कर उसे पोषक तत्व में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार मृदा को वायु एवं जल कटाव के प्रति सुदृढ़ बनाता है। आर्बस्क्युलर माइकोराइजा की प्राकृतिक परिस्थिति को पुनः स्थापित करने एवं टिकाऊ खेती के विकास में एक महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका है।

● यह कवक पोषक तत्वों की उपलब्धता में तीव्र गति से सुधार कर ग्लोमिन एवं अन्य चयापचयों का निर्माण करता है। सरल स्थानिक हस्तक्षेप के माध्यम से ये रोगों एवं जीवों से पौधों की जड़ों की सुरक्षा करते हैं।

● यह कवक मृदा में विद्यमान अघुलनशील खनिज पोषक तत्वों को घुलनशील बना कर उपलब्ध कराता है। इसके बदले पौधे द्वारा प्रदान होने वाली शर्करा ग्रहण कर उन में तनाव को कम करता है।

● ग्लोमिन आसपास की मिट्टी के कणों को आपस में बांध कर उनके ऊपर केंचुली का कार्य करता है। इस प्रकार मिट्टी समुच्चय के गठत एवं स्थिरीकरण में योगदान देता है।

● कुछ पौधों की प्रजातियों के लिए कवक के साथ सहयोग अनिवार्य होता है। उनकी निर्भरता का परिमाण पौधों की प्रजातियां, विशेष रूप से जड़ आकृति विज्ञान और मृदा एवं जलवायु की स्थिति के साथ परिवर्तित होता रहता है। मोटी जड़ों के साथ जिन पौधों की शाखाएं खराब होती हैं और जिन में जड़ बाल कम मात्रा में होते हैं, वे पौधे आमतौर पर सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए निर्भर हैं।

● यह कवक हाईपी नाम का एक पदार्थ उत्पादित करता है, जिसे ग्लोमिन की संज्ञा दी जाता है, यह ग्लोमिन ग्लाइको प्रोटीन का उत्पादन करती है। यह पानी के ऊपर एक सुरक्षा स्तर का कार्य करती है। यह पानी और पोषक तत्वों को मेजबान पौधों तक पहुंचाने का कार्य करती है और हाईपी का अपघटन एवं सूक्ष्म जैविक के आक्रमण से सुरक्षा करती है।

● यह बुनियादी रूप से एक कवक है, जो मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी में पाये जाने वाले जीवों में यह सबसे महत्वपूर्ण जीव है, जो मिट्टी में पाए जाने वानले कुल सूक्ष्म जैविक बायोमास के 5-30 प्रतिशत तक पाया जाता है और मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावी है।

● यह कवक नयी मिट्टी की संरचनाओं और मिट्टी में कार्बन को अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

● इसके उपयोग से पौधों में फास्फोरस, जस्ता, आयरन, तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मॉलीब्डनम आदि की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

● यह जैव उर्वरक परोक्ष रूप से मृदा की उर्वराशक्ति को बढ़ाता है।

● इससे फसलों में सूत्रकृमि से होने वाली क्षति कम हो जाती है।

● इसके उपयोग से दलहनी फसलों के पौधों की जड़ो से ग्रन्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है।

● उर्वरकों की मात्रा में कमी लाई जा सकती है।

● मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप शुष्क मौसम में पौधों में पानी की कमी से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।

● उच्च गुणवत्तायुक्त विष अवशेष रहित उत्पादन की प्राप्ति।

● सस्ते व सुगम में उपलब्ध समन्वित उपयोग में वृद्धि।

-लेखक कृषि एवं बागवानी सलाहकार हैं

फसल	निवेशित वी.ए.एम.	उपज वृद्धि
सोयाबीन	ग्लोमस फेसिकुलेटम	26.4
धान	ग्लोमस फेसिकुलेटम	1.9
रागी	ग्लोमस फेसिकुलेटम	8.26
मूंगफली	ग्लोमस फेसिकुलेटम	20.9
नींबू	ग्लोमस प्रजाति	34.8
प्याज	ग्लोमस फेसिकुलेटम	39.6
गाजर	ग्लोमस फेसिकुलेटम	42.0
लहसुन	ग्लोमस फेसिकुलेटम	36.8
मिर्च	ग्लोमस फेसिकुलेटम	5.7
चना	ग्लोमस वसेफोरम	11.0

वर्ष 2014–15 से बागवानी मिशन योजनान्तर्गत किसानों एवं व्यवसायियों को विभिन्न घटकों में 25 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक राज सहायता निम्न विवरणानुसार प्रदान की जा रही है

क्र0 सं0	घटक का नाम	उद्देश्य	राज सहायता का विवरण	अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी
1.	पौधशाला की स्थापना	• हाईटैक/आधुनिक पौधशाला (2 से 4 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिसमें 50,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष उत्पादन हो • छोटी पौधशाला (01 है0 क्षेत्रफल) की स्थापना जिसमें 25,000 पौध प्रति है0 प्रतिवर्ष उत्पादन हो	• ₹25.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 40%) • ₹15.00 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%) ऋण अनिवार्य	₹100.00 लाख ₹15.00 लाख
2.	सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन	• ओपन पॉलीनेटिड फसल • हाईब्रिड बीज	• ₹35,000 प्रति है0 • ₹1.50 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 50%)	
3.	नये उद्यानों की स्थापना			
अ	फल क्षेत्रफल विस्तार (सामान्य)	टपक सिंचाई (ड्रिप सहित)/बिना टपक सिंचाई	₹50,000/₹30,000/ (3 वर्षो में 60:20:20)	4 है0
	फल क्षेत्रफल विस्तार (सघन)	टपक सिंचाई (ड्रिप सहित)/बिना टपक सिंचाई	₹75,000/₹50,000/ (3 वर्षो में 60:20:20)	4 है0
ब	सब्जी क्षेत्रफल विस्तार	संकर प्रजाति की सब्जी की खेती	50 प्रतिशत अर्थात ₹25,000/–प्रति है0	2 है0
स	मसाला क्षेत्र विस्तार	बीज एवं कन्द वाली मसाला की खेती	50 प्रतिशत अर्थात ₹15,000/–प्रति है0	4 है0
द	पुष्प क्षेत्र विस्तार	खुले/डंडीयुक्त/बल्बयुक्त	₹20,000/₹50,000/₹75,000/– प्रति है0	2 है0
य	मशरूम उत्पादन	उत्पादन यूनिट/कम्पोस्ट यूनिट/स्पॉन यूनिट	क्रमशः ₹20.00 लाख/₹20.00 लाख/₹15.00 लाख (राजकीय हेतु 100% एवं व्यक्तिगत हेतु 40%)	
4.	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	पुराने उद्यानों के जीर्णोद्धार की योजना	50 प्रतिशत अथवा ₹20,000/– प्रति इकाई	2 है0
5.	जल प्रबन्धन व्यवस्था			
अ	व्यक्तिगत ट्यूबवैल/पौण्ड	नये ट्यूबवैल/पौण्ड की स्थापना (20X20X3 मी0)	50 प्रतिशत अथवा ₹90,000/– प्रति इकाई	1 नग
ब	सामुदायिक टैंक/ऑन फार्म पौण्ड	सामुदायिक रूप से 10 है0 नियन्त्रित क्षेत्र की सिंचाई के लिये आकार 100mX100mX3m के टैंक/पौण्ड निर्माण	अधिकतम ₹25.00 लाख प्रति इकाई (लागत का शत प्रतिशत)	1 नग
6	संरक्षित खेती			
अ	ग्रीन हाउस निर्माण	विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम/ट्यूबलर स्ट्रक्चर पालीहाउस। इसके अतिरिक्त रोपण सामग्री हेतु 50% राज सहायता देय है।	लागत का 50 प्रतिशत (पॉलीहाउस के आकार के आधार पर ₹422.00/ से ₹825.00 प्रति वर्गमी) (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
ब	शैड नेट हाउस	ट्यूबलर बनावट, प्रकाष्ठ संरचना एवं बॉक्स की संरचना	लागत का 50 प्रतिशत (पर्व0 क्षेत्रों हेतु 15% अतिरिक्त)	4000 वर्ग मीटर
स	एन्टी हेल नेट	फलों एवं सब्जी फसलों की ओलों की सुरक्षा हेतु	50 प्रतिशत या अधिकतक ₹17.50/– प्रति वर्गमी	5000 वर्ग मीटर
7.	जैविक खेती , वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट एवं एच.डी.पी.ई. वर्मीबैड की स्थापना	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम क्रमशः ₹50,000/– एवं ₹8,000/– प्रति यूनिट	1 यूनिट
8.	औद्यानिक यन्त्रीकरण	विभिन्न औद्यानिक मशीनों/पॉवर टिलर/ट्रैक्टर/ औद्यानिकी हेतु स्वचालित मशीन आदि	25 से 50 प्रतिशत तक (₹12,000/ से ₹1,20,000/ प्रति औजार)	1 यूनिट
9.	उत्पाद उपरान्त प्रबन्धन हेतु	पैक हाउस का निर्माण (9 मी0 X 6 मी0), प्री कूलिंग यूनिट (6 मै0टन क्षमता), मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट (5 मै0टन क्षमता), कोल्ड रूम (30 मै0टन क्षमता), कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफरवेन/कन्टेनर (6 मै0टन क्षमता), प्राइमरी/मोबाईल प्रोसेसिंग यूनिट, राईपनिंग चैम्बर (3,000 मै0टन क्षमता), ईवेपोरेटिव/लॉ एनर्जी कूल चैम्बर, प्रीजरवेशन इकाई की स्थापना (कम लागत वाली), कम लागत वाली प्याज स्टोरेज स्ट्रकचर (25 मै0टन), पूसा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर (100 किग्रा0), इन्टीग्रेटेड कोल्ड चैन इत्यादि	35 से 55 प्रतिशत तक (₹2,000/ से ₹3,00,00,000/ तक प्रति यूनिट)	
10.	विपणन हेतु	टर्मिनल मार्केट	₹150.00 करोड़ प्रति यूनिट का 25 से 40 प्रतिशत (परियोजना आधारित)	
		थोक मार्केट	₹100.00 करोड़ प्रति यूनिट का 33.33 प्रतिशत	
		अपनी मण्डी/रूरल मार्केट	₹25.00 लाख प्रतियूनिट का 55% पर्व0/अनु0 एवं 40% सा0 क्षेत्रो हेतु	
		रिटेल मार्केट/आउटलेट	₹15.00 लाख प्रतियूनिट का 50% पर्व0/अनु0 एवं 35% सा0 क्षेत्रो हेतु	
		स्टेटिक मोबाईल मैन्डिग कार्ड/प्लेटफार्म विद् कूल चैम्बर	₹30,000/प्रति यूनिट का 50 प्रतिशत अर्थात ₹15,000/ प्रति लाभार्थी	
		फक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कलैक्शन, सोर्टिंग, ग्रेडिंग आदि	₹15.00 लाख प्रति यूनिट का 55 प्रतिशत पर्वतीय/ अनुसूचित क्षेत्रों एवं 40 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रो हेतु	
		रोपवे (ग्रेविटी बेस्ड)	₹15.00 लाख प्रति किमी0 का 50 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रो हेतु ऋण आधारित बैक एन्डिड सब्सिडी	
11.	खाद्य प्रसंस्करण	नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई	₹800.00 लाख प्रति इकाई का 50 प्रतिशत अर्थात ₹400.00 लाख प्रति इकाई	

समस्त किसानों एवं व्यवसायियों से निवेदन है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी तथा निदेशक, बागवानी मिशन कार्यालय, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से सम्पर्क करें।

दूरभाष संख्या 0135–2759799,2759796 ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com वैबसाईट: shm.uk.gov.in

जलवायु परिवर्तन से कृषिक्षेत्र दुष्प्रभावित

सूखे की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें महज 33 फीसदी की तुलना में अब 50 फीसदी तक नष्ट फसल क्षेत्र पर विचार करना तथा राहत राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करना शामिल है।

■ कृषि चौपाल

देश के कई हिस्सों में रूखे मौसम और सूखे के कारण किसानों के लिए यह परेशानियों का लगातार तीसरा फसल-चक्र साबित होने जा रहा है, जिसने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के तत्काल समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसका दुष्प्रभाव इसके बाद के वर्ष में भी दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि वर्तमान गेहूं की रबी बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 20.23 लाख हेक्टेयर कम हुई है, दालों और सब्जियों के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं।

दक्षिण-पश्चिमी मानसून इससे पिछले वर्ष 12 प्रतिशत की कमी के बाद 2015 में लंबी अवधि तक औसत के सामान्य स्तर से 14 प्रतिशत कम रहा, जिसका असर खरीफ फसलों पर पड़ा। इसके बाद जो उत्तर-पूर्वी मानसून आया, वह तमिलनाडू एवं आस-पास के क्षेत्रों में भारी विनाश का कारण बना। इससे वहां अभूतपूर्व बाढ़ का संकट आया, जिसने पूरी तरह धान एवं नकदी फसलों को बर्बाद कर दिया।

दाल एवं तिलहनों का उत्पादन पिछले कई वर्षों से मांग की तुलना में लगातार कम होता रहा है। इस साल अनाजों के उत्पादन को लेकर बड़ी चिंताएं बनी हुई है हालांकि वर्तमान में देश में खाद्यान्न अधिशेष मात्रा में है, पर विशेषज्ञ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, कम से कम 62.5 मिलियन टन सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न मुहैया कराए जाने की कानूनी प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हैं। यही कारण है कि देश के किसान अच्छी फसल अर्जित करने के लिए बेहतर मौसम स्थितियों को लेकर अभी से चिंताग्रस्त हैं।

इस वर्ष अभी तक नौ राज्यों ने सूखाग्रस्त जिलों की घोषणा की है। ये हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड। तमिलनाडु में अधिकांश जिले तो इस वर्ष बाढ़ से बुरी तरह ग्रस्त रहे हैं। 2014-15 के दौरान भी हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कई जिले सूखे की चपेट में रहे थे।

2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान 252.68 मिलियन टन का था, जो 2013-14 से 265.04 मिलियन टन के उत्पादन से 12.36 मिलियन टन कम रहा। उत्पादन में यह कमी गेहूं के उत्पादन में 6.19 मिलियन टन की गिरावट की वजह से है। चावल का उत्पादन भी थोड़ा कम रहा था। दालों का उत्पादन 2014-15 में 19.24 मिलियन टन से कम होकर 17.20 मिलियन टन रह गया, जिसकी वजह से इन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का संकट उत्पन्न हो गया। उदाहरण के लिए अरहर की कीमतें एक साल पहले के 75 रुपए प्रति किलोग्राम से उछल कर 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहूंच गई और अभी भी ये कीमतें नियंत्रण के बाहर हैं। न केवल अरहर, उड़द की कीमतें बल्कि खुदरा बाजार में लगभग सभी प्रमुख दालों की कीमतें वर्तमान में भी लगभग 140 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बनी हुई हैं। तहबाजारियों और कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयासों के अपेक्षित नतीजे अभी भी नहीं दिख रहे हैं।

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने प्रमुख दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। सरकार को प्याज एवं दालों के लिए बार-बार बाजार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है। केवल नियमित सब्जियों एवं फलों की ही बात नहीं है बल्कि आलू और टमाटर तक की कीमतें पिछले वर्ष आसमान छूती रही हैं। मौसम के प्रारंभ में मटर की कीमतें 110 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर चली गई थीं।

स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की एक संचित राशि के साथ एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। इस वर्ष कुछ फंड ऐसे राज्यों में दालों की सब्सिडी प्राप्त बिक्री के लिए जारी किए गए थे, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किफायती दरों पर दाल मुहैया कराने के लिए अन्वेषक योजनाएं प्रस्तुत की थीं।

यह देखते हुए कि 2015-16 के लिए उत्पादन अनुमान अभी भी 2013-14 की बंपर फसल की तुलना में कम है, सरकार ने अरहर एवं उड़द दालों के लिए 1.5 लाख टन का सुरक्षित आपात स्टॉक सृजित करने का फैसला किया है, जिसे बाजार दरों पर सीधे किसानों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

सूखे की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें महज 33 फीसदी की तुलना में अब 50 फीसदी तक नष्ट फसल क्षेत्र पर विचार करना तथा राहत राशि में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करना शामिल है।

बताया जाता है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, जो पिछले 4 वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है, में 2015 में परेशान किसानों द्वारा सबसे अधिक आत्महत्या किए जाने की खबरें आई हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 3050 करोड़ रुपए की सूखा राहत राशि मुहैया कराई है। मध्य प्रदेश को 2033 करोड़ रुपए, कर्नाटक को 1540 तथा छत्तीसगढ़ को 1672 करोड़ रुपए की सूखा राहत राशि मुहैया कराई गई है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा राशि कोष से मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सूखा राहत राशि के सुस्त क्रियान्वयन के लिए तथा मांग ज्ञापन भेजने में देरी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके कारण किसानों की परेशानियां बढ़ीं। श्री सिंह ने कहा कि क्रियान्वयन राज्यों के हाथों में है। इस वर्ष रबी की कम बुआई में कृषि मंत्री को आकस्मिकता योजना तैयार करने को तथा प्रभावित क्षेत्र में बीजों एवं उर्वरकों को भेजने की स्थिति के लिए तैयार रहने को प्रेरित किया। पिछले वर्ष मानसून में औसत कमी 14 प्रतिशत की थी, जबकि पंजाब और हरियाणा में यह 17 प्रतिशत दर्ज की गयी। हालांकि इन राज्यों में सिंचाई की सुविधाएं तो हैं, लेकिन फसल पूर्व रूखे मौसम ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया।

निम्न उत्पादकता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की है। इस योजना का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 14.40 करोड़ किसानों को कार्ड मुहैया कराना है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 568.54 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं। यह कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषकता की कमी एवं उर्वरक के उपयोग से संबंधित अनुमान उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा। किसानों को इसके तहत एक सलाह भी दी जाएगी कि किस फसल पर कितनी मात्रा में उर्वरक आदि का उपयोग किया जा सकता है।

जैविक खेती पर अपने फोकस के साथ सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है, जो क्लस्टर खेती को प्रोत्साहित करता है, जैविक खाद्य के लिए सब्सिडी को 100 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है।

भारत की कृषि का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा प्रति वर्ष पर्याप्त एवं सही समय पर वर्षा होने पर निर्भर है और हाल के पड़े सूखे ने खेती के लिए सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरतों को रेखांकित किया है। इसी के मद्देनजर सरकार ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना है। इसके लिए लगभग 5300 करोड़ रुपयों का बजट आवंटन किया गया जिसमें त्वरित एकीकृत लाभ कार्यक्रम के लिए कोष शामिल है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं छिड़काव परियोजना के तहत लगभग 1.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल कर लिए गए हैं।

पिछले वर्ष मंत्रालय ने किसानों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई मोबाइल एप्लीकेशन लांच किए। फसल बीमा एप्लीकेशन किसानों को बीमा कवर एवं उन पर लागू होने वाली प्रीमियम के बारे में जानकारी देने में मददगार साबित होगा। 'एग्रीमार्केट मोबाइल' किसानों को 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर मंडी में फसलों के बाजार मूल्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

परिक्षेत्रों में मोबाइल एवं कनेक्टिविटी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय ने मोबाईल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सभी सेवाओं को उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अभी तक दो करोड़ से अधिक किसान फसलों एवं मौसम के बारे में एसएमएस दिशानिर्देश प्राप्त करने के लिए 'एमकिसान पोर्टल' के उपयोग के लिए मंत्रालय के साथ पंजीकृत हो चुके हैं।

बहरहाल, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मौसम की स्थितियां आज भी कृषि विकास एवं समृद्धि के लिए सबसे आवश्यक कारकों में से एक हैं, खासकर आने वाले वर्षों में, जब फसल उत्पादन, उपलब्धता एवं मूल्य में बढ़ोतरी की चिंताएं सबसे अधिक हैं। पिछले वर्ष जहां बागवानी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों में मजबूती बनी रही, वहीं दूसरी ओर लगातार खराब मौसम के कारण कृषिक्षेत्र में गिरावट आई, जिसके चलते महंगाई की मार झेलनी पड़ी। ●

कृषि चौपाल पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

कृपया उचित स्थान पर सही (✓) का निशान लगाएं और अन्य विवरण साफ-साफ अक्षरों में सही-सही भरें।

☐ वार्षिक सदस्यता - 180/- ☐ द्विवार्षिक सदस्यता - 350/- ☐ पंचवार्षिक सदस्यता - 750/-

☐ आजीवन सदस्यता - 5100/- (पत्रिका भारतीय डाक विभाग की सेवा से भेजी जाएगी)

मैं अपना चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... तिथि ..... / ..... / .....

बैंक व ब्रांच ..... पर आदेशित, रुपये .....

मात्र का (**'कृषि चौपाल'**, दिल्ली के पक्ष में) संलग्न कर रहा हूं।

मेरा विवरण इस प्रकार है:-

नाम .....

पता .....

..... पिन .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

कृपया ध्यान दें: सदस्यता-फॉर्म के साथ चेक या डिमांड ड्राफ्ट **'कृषि चौपाल'** के नाम देय होगा। चेक या ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता व फोन नंबर अवश्य लिखें। डिमांड ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर- कृषि चौपाल, सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 के पते पर भेंजे। फोन: +91-991040-6059, ईमेल: E-mail: krishichaupal@gmail.com

सवाल उत्तराखंड को बचाने और बसाने का है

पहाड़ प्यारा सबको लगता है परंतु केवल पर्यटन के लिए। आज पहाड़ की श्रमसाध्य जीवन-शैली से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। लोग अपने बंजर गांवों की तसवीरें तमाम सोशियल साइटस पर जारी कर अपने मन को न जाने कौन सी तसल्ली दे रहे हैं, यह भी समझ से परे है। राज्य पड़ताल के इस सिलसिले में हम यहां उत्तराखंड की बात कर रहे हैं।

■ **महेन्द्र बोरा**

उत्तराखंड की राज्य गठन की मांग के मूल में पलायन की पीड़ा और तत्कालीन केंद्र सरकारों और उत्तर-प्रदेश राज्य सरकारों की उपेक्षा शामिल थी। उम्मीद थी कि राज्य गठन के बाद राज्य के नागरिकों को पलायन से निजात मिलेगी। तथा राज्य के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। नष्टप्राय हो चुकी कृषि व्यवस्था, पशुपालन, दस्तकारी उद्यमों को पुनर्जीवित किया जायेगा और संस्कृति तथा अस्मिता की रक्षा होगी। परंतु जो हो रहा है वह राज्य गठन की अवधारणा के एकदम उलट है। उत्तराखंड के नागरिकों ने अपनी हाड़तोड़ मेहनत और सकारात्मक प्रयासों से जो ढांचा तैयार किया था, वह भी पिछले 15 सालों में गैर-जिम्मेदार सरकारों द्वारा तहस-नहस कर दिया गया है।

वर्तमान में उत्तराखंड पलायन के सतत दुष्प्रभाव से बरबाद होने के कगार पर है। इसके मूल कारणों में नष्ट हो चुकी कृषि व्यवस्था, लगभग समाप्त हो चुका पशु-पालन और मरणासन्न हो चुके दस्तकारी उद्यम हैं। इसके परिणाम में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। सत्ता का शीर्ष प्रतिष्ठान दिल्ली से लेकर देहरादून तक इन भूमाफियाओं के लिए जमीन के दलालों की भांति काम कर रहा है।

उत्तराखंड राज्य का गठन हुए डेढ़ दशक का समय गुजर चुका है। राज्य के रूप में गठित होने से पूर्व यह मध्य हिमालयी भूभाग कृषि और पशुपालन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था तथा यहां के निवासी अपनी कृषि व्यवस्था और पशुपालन से आत्मनिर्भर थे। परिवार का कोई एक या दो पुरुष सदस्य बेहतर रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाता था। भारतीय सेना इसका सबसे बड़ा जरिया थी। अधिकतर लोग फौज में नौकरी करते थे और यह सम्मान की बात थी। फौज से रिटायर होने के बाद वे अपने गांव वापस आ जाते थे। पलायान लगभग नाममात्र का था। अधिकतर उच्च शिक्षित व्यक्ति ही पलायन को अपनाते थे। लेकिन पिछली सदी के आठवें दशक के प्रारंभ से ही उत्तराखंड के लोगों ने पलायन को अपनाना शुरू कर दिया और यह आज भी जारी है। पलायन बढ़ने के साथ-साथ कृषि व्यवस्था तथा पशुपालन नष्ट होता चला गया।

खेतीबाड़ी, फलोत्पादन, जड़ी-बूटी, पशुपालन तथा ग्रामीण दस्तकारी ने इस मध्य हिमालयी क्षेत्र को सदा आत्मनिर्भरता दी। उत्तराखंड की सामाजार्थिक व्यवस्था में जंगलों का खासा योगदान रहा। परंतु अंग्रेजों द्वारा और बाद में जिन काले अंग्रेजों को भारतीय उपनिवेश की सत्ता हस्तांतरित हुई उनके द्वारा बनायी गयी सरकारों ने सबसे पहले उत्तराखंड में जंगलों पर उत्तराखंडियों के पारंपरिक हक-हकूकों को निशाना बनाया। चीड़ के जंगलों को बढ़ावा दिया। जंगली जानवरों को जंगलों से भागकर इन्सानी आबादी में आने पर विवश किया। जंगलों पर स्थानीय निवासियों के हक-हकूकों के नष्ट होने से पहाड़ों में वन-माफिया घुस आये। चारे के अभाव में पशु-पालन मारा गया। जंगलों पर आधारित घर बनाने और इमारती लकड़ी का काम स्थानीय नागरिकों के हाथों से निकलकर आरा मशीनों के मालिकों के पास चला गया। विवादित भूमि कानूनों के कारण कृषि-भूमि का विस्तार नहीं हुआ और पहले से चले आ रहे खेतों की जोतें और सिकुड़ गयीं। रही-सही कसर राज्य गठन की बेला के आस-पास उत्तराखंड में घुसे जमीन-माफियाओं और तथाकथित जमीनी-नेताओं के नापाक गठबंधन ने पूरी कर दी। आज हालात यह हैं कि पहाड़ के किसानों के पास प्रति किसान बमुश्किल आधा एकड़ जमीन है।

उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व ही पर्वतीय विकास मंत्रालय हुआ करता था जो इस मध्य हिमालयी भूभाग के विकास के लिए गठित किया गया था। आज इस राज्य को विकास के लिए तरसना पड़ रहा है। देश की राजधानी में पेयजल की आपूर्ति और उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति उत्तराखंड से होती है, परंतु उत्तराखंड को इस बदले में

क्या मिलता है? यह सीमांत राज्य जो हमेशा राष्ट्रभक्तों की पैदाइश के लिए मशहूर रहा है आज शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। संजीवनी बूटी का यह मातृ-प्रदेश यदि कृषि के लिए केन्द्र सरकार का मोहताज हो जाये तो फिर राज्य सरकार क्या कर रही है?

आज जिस असिंचित या अर्द्धसिंचित भूमि में खेती खत्म हुई है, कभी उसी भूमि में सात-आठ तरह के अनाजों की उपज एक साथ ली जाती थी। प्रत्येक परिवार अपने भरण-पोषण लायक अनाज, दलहन, तिलहन, साग-सब्जी, फल-फूल आदि आसानी से पैदा कर लेता था। इन अनाजों और दालों में राजमा, गहत, मडुआ, झुंगरा, रागी, जौ, भट, उड़द, रैंस, चौलाई, कौंणी आदि शामिल थे। मिर्च, हल्दी, मसाले, आलू, मूली, गडेरी, अदरक आदि भी इसी भूमि पर होते थे। सेब, माल्टा, संतरा, आम, खुमानी, आड़ू, चकोतरा, अठन्नी, नींबू, अमरूद आदि फलों का उत्पादन भी इसी भूमि पर होता था। सिंचित भूमि में सिर्फ गेहूं और धान ही पैदा होता था। बाकी सारे अनाज, दालें, सब्जियां, मसाले तथा फल आदि उस असिंचित और अर्द्धसिंचित भूमि पर पैदा होते थे जो आज लगभग पूरी तरह बंजर हो चुकी है। एक कहावत है 'तेरि कुड़ि भांग फुलि जौ।' इसका मतलब है कि तेरा घर बंजर हो जाये। आज उत्तराखंड का पर्वतीय भूभाग अधिकतर बंजर हो चुका है। फसल से हरे-भरे रहने वाले खेतों में अब झाड़-झंखाड़ उग आया है। कई गांव तो पूरी तरह उजड़ चुके हैं। शायद इसीलिए किसी सिरफिरे ने सूबे के मुखिया को डूबते जहाज में कील ठोकने वाला आइडिया थमा दिया। यदि भांग की खेती की जाये तो सब समस्याएं भाग खड़ी होंगी।

यह सीमांत राज्य जो हमेशा राष्ट्रभक्तों की पैदाइश के लिए मशहूर रहा है आज शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। संजीवनी बूटी का यह मातृ-प्रदेश यदि कृषि के लिए केन्द्र सरकार का मोहताज हो जाये तो फिर राज्य सरकार क्या कर रही है?

कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई आधारभूत ढांचा विकसित करने के बजाय ऊर्जा प्रदेश, इको-टूरिज्म, विलेज टूरिज्म तथा औद्योगिकीकरण के बहाने किसानों की जल-जंगल-जमीन बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों के पास जा रही है। हिमालयी लोगों का भारी पैमाने पर विस्थापन किया जा रहा है। विशाल डैम बनाये जा रहे हैं। हिमालय को पूरे देश का पावर हाउस बनाया जा रहा है। नदियों को सुरंगों में कैद कर दे रहे हैं या रास्ता बदल दे रहे हैं। गंगा तक अपने को नहीं बचा सकी औरों की मिसाल ही क्या! जबकि आंदोलनों की धार तेज है। पर्यावरणवादियों का कहना है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। किसी दिन ऊर्जा का खेल खराब हो गया तो उत्तराखंड में कोहराम आ जाएगा। सब तबाह हो जाएगा। इसके बावजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों का काम बदस्तूर जारी है।

एक गैर-सरकारी अध्ययन से यह बात पता चली कि उत्तराखंड केरल के बाद शिक्षा के मामले में दूसरे स्थान पर है। तमाम तरह की उपेक्षाओं और सरकारों की उदासीनताओं के बावजूद उत्तराखंड का शिक्षा के मामले में दूसरे स्थान पर रहना बड़ी बात है। दरअसल पहले उत्तराखंड के जो लोग रोजी-रोजगार के लिये राज्य से बाहर जाते थे, वहां पर वे संगठित स्वरूप में रहते थे। यह सब आपसी मेल-मिलाप, एक-दूसरे की मदद, शादी-ब्याह और तीज-त्यौहारों के लिए होता था। इस तरह वे अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़े रहे। उनका सहयोग उनकी मातृभूमि के भी काम आया। आपसी सहयोग से विकास के कई काम हुए। इन छोटे-छोटे सकारात्मक कार्यों का ही परिणाम था कि पहाड़ों में कई स्कूलों की स्थापना हुई तथा गांवों में मंगल दल आदि बने। श्रमदान से अनेक कार्य संपन्न हुए।

आज अनेक इस प्रकार के स्कूल-कालेज जो कि पहले स्थानीय प्रबंधन द्वारा संचालित होते थे, राजकीय और अर्द्धशासकीय हो चुके हैं। परंतु इन स्कूल-कॉलेजों की दशा बदतर है। जगह-जगह मानकों को ताक पर रखते हुए कुकुरमुत्तों की तरह पब्लिक स्कूल उग आये हैं। जिनमें न तो प्रबंधन योग्य होता है और न ही शिक्षक योग्य होते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाएं भी लचर हो चुकी हैं। अस्पताल तो हैं परंतु वहां चिकित्सकीय स्टाफ नहीं है। कई अस्पतालों में अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी मरीजों को उपचार दे रहे हैं। गांव देहातों में झोलाछाप डॉक्टर घुस आये हैं। जबकि शिक्षा तथा स्वास्थ्य नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उत्तराखंड में आज ये दोनों आवश्यकताएं सरकारों के एजेंडे में नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है तथा स्कूल-कॉलेजों को बंद करने की साजिश की जा रही है। निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस काम में सूबे के मुखिया स्वयं खासी दिलचस्पी ले रहे हैं।

गैर-योजनागत स्वरूप के विकास ने नदी-घाटी के इलाकों को कब्जा लिया और इन विकास कार्यों ने उत्तराखंड की जैव-विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया। जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड का मौसम-चक्र विचलित हो गया और बारिश भी कम होने लगी। जब भी बरसात होती है वह अतिवृष्टि के साथ होती है, फसल-चक्र के अनुसार नहीं होती। ऐसे में वह भूमि जो उपज के लिए मानसून पर आधारित थी बंजर हो गयी। उत्तराखंड की अधिकांश पर्वतीय भूमि कमोबेश असिंचित है।

सवाल फिर उसी दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है - उत्तराखंड कैसे बचेगा और कैसे बसेगा? ●

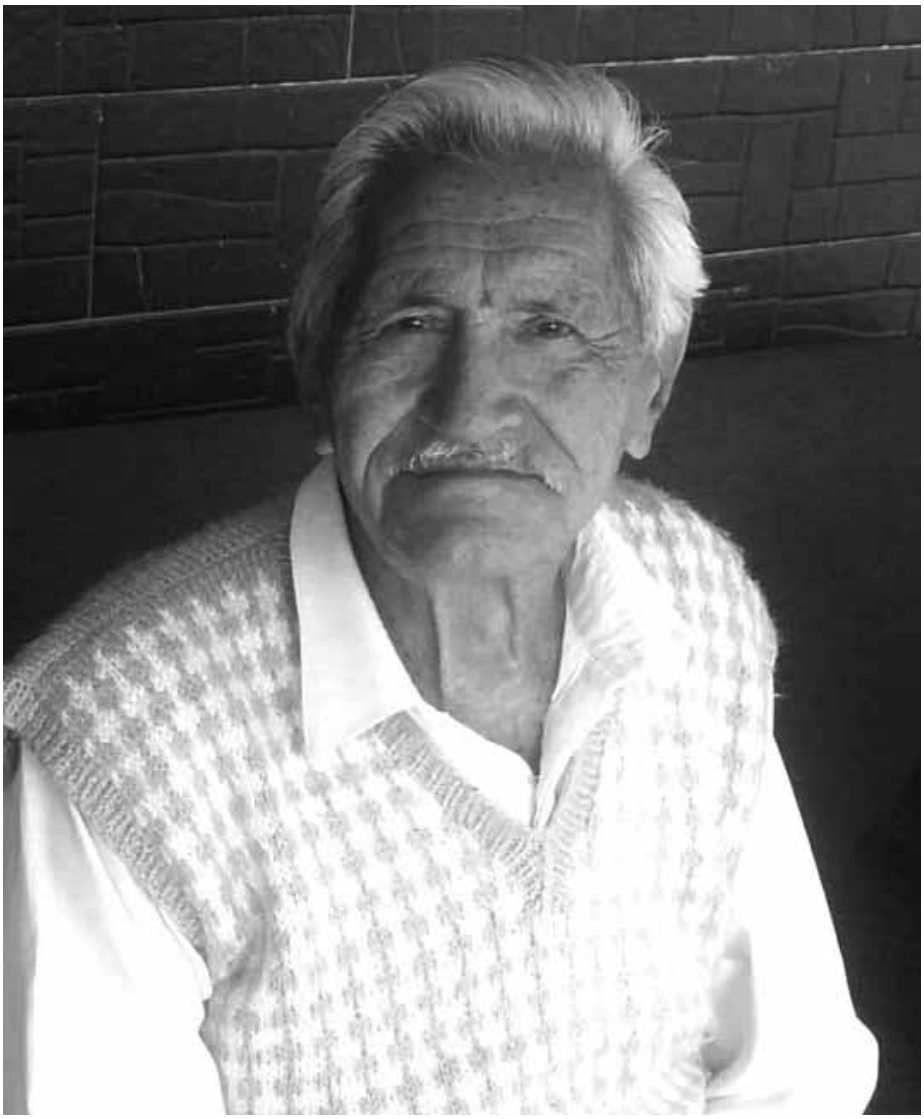

हरकिशन लाल चड्ढा

एक सफल काश्तकार

■ **मदन जलाल**

उत्तराखंड के तराई-भाबर क्षेत्र में जहां एक ओर खेती की जमीन तेजी से सिमट रही है वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपनी भूमि से न केवल लगाव रखते हैं बल्कि अपनी कृषि-भूमि को 'मां' का स्थान देते हैं। शहरीकरण की आंधी के बीच भी वे अपने खेत-खालिहानों को बचाये हुए हैं। कठोर संघर्षों का सामना करते हुए तथा अनेक अभावों से जूझने के बावजूद वह अपने खेत-खलिहानों को भूमाफियाओं के हाथों बेचने की बजाय आधुनिक कृषि तकनीकों के सहारे खेती को उन्नत व लाभकारी बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक किसान हैं- हरकिशन लाल चड्ढा।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत चकलुआ कस्बे के निवासी एवं चड्ढा फार्म के मालिक हरकिशन लाल चड्ढा ने कठोर परिश्रम साहस एवं संघर्ष के बल पर खेती-किसानी की जिन ऊंचाइयों को छुआ है वह अपने आप में एक मिसाल है। अपने नेक इरादों, मजबूत इच्छाशक्ति एवं कठोर परिश्रम से श्री चड्ढ़ा विगत छह दशक से न केवल एक सफल किसान रहे हैं अपितु पशुपालन, सब्जी उत्पादन, बागवानी, पुष्प उत्पादन की आधुनिक तकनीकें अपनाकर खेती-किसानी को एक लाभकारी व्यवसाय साबित कर दिखाया है। आज श्री चड्ढा तराई-भाबर में ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों के किसानों के लिए महान प्रेरणा स्रोत हैं।

सचमुच खेती-बाड़ी बागवानी, गौ-पालन जैसे कार्यों के प्रति श्री चड्ढा के समपर्ण एवं संघर्ष को देखते हुए उन्हें यदि एक दुर्लभ कर्मयोगी कहा जाये तो गलत नहीं होगा। एक तरफ देश भर के करोड़ों किसानों का अपनी ही खेती व अपनी ही भूमि से मोहभंग हो रहा है, वहीं श्री चड्ढा जैसे काश्तकार भी है जो अपनी गायों, खेत-खलिहान तथा बगीचों को जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। बेशक यही कारण है कि 70 एकड़ में फैला चड्ढा सीड फार्म देश-विदेश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पंतनगर कृषि विश्व विद्यालय के शोध छात्रों एवं वैज्ञानिकों के अलावा देश-विदेश के अनेक कृषि वैज्ञानिक समय-समय पर शोध के लिए उनके फार्म पर आते रहते हैं।

गौ पालन कृषि व बागवानी के परंपरागत तकनीकों के साथ ही उन्नत खेती की आधुनिक तकनीकों से वाकिफ हरकिशन लाल चड्ढा के साथ 'कृषि चौपाल' की विस्तृत बातचीत हुई। इस दौरान कृषि चौपाल टीम के साथ उन्होंने खेती-किसानी पर अपने संघर्षों एवं सफलता के अनेक दुर्लभ अनुभव साझा किये।

श्री चड्ढा ने बताया कि देश विभाजन से पहले ही उनका परिवार 1946 में रावलपिंडी से दिल्ली चला आया और यहां राजेन्द्र नगर में एक छोटे से घर में रहकर काम-धंधा करने लगे। वह स्वयम् 1945 में रावलपिंडी से मैट्रिक पास करके आये और पांच साल तक दिल्ली में रहने के बाद कृषि भूमि, चारागाह की तलाश में उत्तराखंड के तराई-भाबर में चले आये।

उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही गाय पालने का शौक था। इस काम के लिए भूमि की जरूरत थी। काफी खोजबीन के बाद अन्ततः हल्द्वानी से 20 किलोमीटर की दूरी पर चकलुआ कस्बे में उन्हें भूमि मिल गयी। इस काम में उनके पिता ईश्वर दास चड्ढ़ा के आध्यात्मिक गुरु भगत देश राज की विशेष कृपा रही। उन्होंने इसके लिए आर्थिक सहयोग भी दिया और यहां रहकर खेतीबाड़ी तथा गौ-पालन के गुर सिखाये।

श्री चड्ढा ने बताया उन्होंने रात-दिन हाड़तोड़ मेहनत कर कुछ ही वर्षों में 70 एकड़ भूमि आबाद कर ली। शुरुआत में ही 40 गायें पाली और धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती चली गयी। श्री चड्ढा स्वयं गायों की देखभाल करते थे, गोबर हटाते थे, दूध दुहते थे और दिन-रात खेत तैयार करते थे। रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार की।

10 साल तक उसी में रहे। 87 वर्ष की उम्र में भी 40 वर्ष आयु जैसी फुर्ती का राज पूछने पर श्री चड्ढ़ा ने बताया कि वर्ष 1950 से वर्ष 1960 तक उन्होंने अन्न नहीं खाया, तीन-चार वक्त सिर्फ गाय का दूध पीते थे। अपनी ताकत व मजबूत शरीर के पीछे वह गाय के दूध को बताते हैं। इतना ही नहीं वर्ष 1990 से 2010 के बीच करीब 20 साल तक पुनः अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया और कभी-कभार कोई फल खा लिया करते थे।

उन्होंने आगे बताया कि कच्ची झोपड़ी में परिवार व बच्चों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। शेर, बाघ, भालू, हाथी अजगर आदि से सुरक्षा करना बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1975 में पहली बार बिजली आयी। तब से कुछ दिक्कतें कम होती चली गयीं। उसी साल ट्रैक्टर भी खरीदा। उन्होंने बताया कि शुरू से ही उन्होंने लाई, गन्ना, धान, गेहूं, चना, मसूर, मक्का आदि का उत्पादन किया, कोल्हू लगाया और गुड़ खुद तैयार कर बाजार पहुंचाते थे। और लीची, आम, अमरूद, पपीता आदि के बाग भी तैयार किये। खेती-बाड़ी को बढ़ाने में सरकारी विभागों का तथा पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का भरपूर सहयोग मिला।

श्री चड्ढा ने अपनी जीवन शैली तथा दैनिकचर्या के बारे में बताया कि वह प्रातः समय पर उठकर आज भी ठंडे पानी के तालाब में स्नान करते हैं, व्यायाम और योग करते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। उन्होंने बताया वर्तमान में 50 एकड़ भूमि में हार्टीकल्चर और फ्लोरीकल्चर का काम किया है।

वर्ष 1982 में हरकिशन लाल चड्ढा ने अपने पुत्र सुधीर चड्ढा के सहयोग से चड्ढा सीड फार्म को विधिवत एक व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया। इसके तहत सर्वप्रथम पपीते की खेती आरंभ की। शुरुआत 900 पौधों से की जो धीरे-धीरे बढ़ती चली गयी। पंतनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से नई-नई प्रजातियों पर प्रयोग करते रहे और उत्पादन बढ़ाते रहे। इसके अलावा एक प्रजाति उन्होंने स्वयम् तैयार की। 'फार्म सलैक्शन-एक' नाम की पपीते की यह प्रजाति काफी लोकप्रिय है तथा इसके बीजों की मांग देशभर में है। देश के कई राज्यों से काश्तकार इस प्रजाति को मंगाते हैं। श्री चड्ढा ने बताया कि उनके इस काम को ऊंचाई देने में उनके पुत्र सुधीर की बहुत बड़ी मेहनत है। वर्ष 1990 से सुधीर ने फूलों की खेती शुरू की। फार्म के अलावा कुमाऊं के पर्वतीय भागों में जगह-जगह पॉलीहाउस निर्माण किये, जहां से लीलियम व ग्लाईडोलिया के फूल नित्यप्रति दिल्ली, देहरादून, मुम्बई आदि शहरों में भेजे जाते हैं।

श्री चड्ढ़ा ने 'कृषि चौपाल' टीम को फार्म का भ्रमण कराते हुए बताया कि वर्तमान में 10 एकड़ में पपीते की पौध रोपण तैयार हैं। 16 एकड़ में सेब की कलम तैयार की गयी है। 40 हजार पौधे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा अन्य राज्यों में भेजे जाने हैं। हॉलैण्ड की यह सेब की प्रजाति मात्र डेढ़ साल में फल देने लगती है। इसके अलावा दर्जन भर पॉलीहाउस बनाये गये हैं जिनमें फूल, सब्जी आदि तैयार की जाती हैं। सिंचाई के लिए ड्रिपिंग सिस्टम अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके इस संघर्ष में उनकी पत्नी श्रीमती इन्द्रा रानी का विशेष सहयोग रहा। खेतीबाड़ी से लेकर गौ-पालन तथा अन्य सभी कार्यों में उनकी बराबर सहभागिता बनी रही। श्री चड्ढा को उन्नत खेती के लिए अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

अन्त में उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो गाय को बचाना होगा और खेती की ओर लौटना पड़ेगा। गाय एक ऐसी मां है जो जीवनभर हमें दूध पिलाती है और भूमि हमें सकल पदार्थ खिलाती है। सरकारों को यह बात समझनी चाहिए और गाय तथा कृषि की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ●

औषधीय गुणों का भण्डार 'हिंसालू'

■ **कृषि चौपाल**

हिमालयी क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से अधिकांश रोगों का उपचार प्रकृति-प्रदत्त वनौषधियों के द्वारा होता रहा है। आठ सौ से अधिक वनस्पतियां किसी न किसी रूप में पहाड़ की पारंपरिक घरेलू चिकित्सा में प्रयोग होती है। परंपरागत चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली इन वनौषधियों में से केवल 350 के लगभग वनौषधियों के ही आयुर्वैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग का उल्लेख वर्तमान में मिलता है।

अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के बढ़ते आकर्षण तथा पलायन के कारण आज की युवा पीढ़ी इन वनौषधियों से अपरिचित होती जा रही है, घरेलू चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली वनौषधियों के व्यापक अध्ययन एवं शोध द्वारा जहां ज्ञान की इस बहुमूल्य धरोहर को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है, वहीं आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा पद्धतियां और अधिक समृद्ध होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसी

ही कांटेदार वनस्पति (झाड़ियों के रूप में) पायी जाती है, जिसे उत्तराखंड में हिंसालू या हिंसर तथा हिमाचल प्रदेश में अच्छू कहा जाता है। इस वनस्पति का लैटिन नाम रनबस इलिप्टिकस है। मई-जून माह में इन झाड़ियों पर सफेद रंग के फूल आते हैं तथा जुलाई अगस्त माह के बीच फल पक कर पीले रंग के हो जाते हैं। फल खाने में स्वादिष्ट होते हैं। हिंसालू के फल, पत्तियां एवं जड़ें अनेक रोगों की घरेलू चिकित्सा में अत्यन्त उपयोगी हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में पुरानी पीढ़ी हिंसालू के औषधीय गुणों से भलीभांति परिचित थी। हिंसालू के फलों को पीस कर घी में भून लिया जाता हैं, तथा उसमें चुटकी भर पुदीने की सूखी पत्तियों का पावडर मिलाकर बोतलों में बंद कर रख देते हैं किसी व्यक्ति को उल्टी या दस्त होने की स्थिति में इसको दो चम्मच पानी के साथ दिन में तीन बार देने में तुरंत आराम मिलता हैं, पेट दर्द की स्थिति में हिंसालू की जड़ों को थोड़े-थोड़े अंतराल पर चबाने से दर्द खत्म हो जाता है। हिंसालू में गुर्दो को शक्ति प्रदान करने का गुण भी पाया जाता है। मूत्र संबंधी अनेक रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बार-बार मूत्र होने तथा बच्चों द्वारा रात्रि में बिस्तर पर मूत्र करने की स्थिति में भी हिंसालू का उपयोग करने पर रोग समाप्त हो जाता है। हिंसालू के फलों में ज्ञानेन्द्रियों को पुष्ट करने का गुण पाया जाता है। अनेक स्त्री रोगों में भी विधिपूर्वक हिंसालू का प्रयोग होता है। औषधीय गुणों से संपन्न हिंसालू पर्वतीय जन-जीवन के लिए एक बहुउपयोगी वनस्पति हैं। ●

नर्सरी में काम करता भट्ट परिवार

पलायन को चुनौती दे रहा है भट्ट परिवार

■ पुष्कर बिष्ट

आने वाली पीढ़ियों को फलदार पेड़-पौंधे मिलें, वे इसके इर्दगिर्द खेलें और प्रकृति से जुड़ें तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। अल्मोड़ा जनपद से सटे नैनीताल जनपद की सीमा में बेतालघाट में यशौदा पौधालय चलाने वाले भट्ट परिवार ने इसकी मिशाल कायम की है। अपनी पैतृक जमीन पर कृषि कार्य करने वाले दामोदर भट्ट अब बूढ़े हो चले हैं। उनका बेटा पिताम्बर भट्ट आज उनका हाथ बंटाता है। पूरा परिवार साल में हजारों फलों के पेड़ क्षेत्रा ही नहीं दूर दूर तक पहुंचाता है। कहने को क्षेत्रा में और भी नर्सरी है लेकिन भट्ट परिवार की यशौदा पौधालय की बात कुछ और है। न राजकीय मदद न किसी का सहारा, पूरे परिवार ने तिनका समेट कर इस नर्सरी को बेतालघाट और पैतृक गांव हरतोला में तैयार किया। एक ओर जहां हरतोला क्षेत्र में लोग ऊंचाई की जमीनें बेचकर जा चुके हैं वहीं लगभग 25 नाली में यह परिवार पौधरोपण कर साल में पहाड़ों को हजारों पौध देते हैं। हाल में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की टीम ने इस नर्सरी को देखा तो प्रयासों की सराहना की और इस परिवार की नर्सरी को पंजीकरण किया। अब भट्ट परिवार देश भर में अपने पौंधे भेज सकता है।

नर्सरी संचालक पिताम्बर भट्ट ने बताया कि पूर्व में पंजीकरण न होने से दूसरों के सहारे वे पौध बेचते थे और 4 से 5 रुपए भी एक पेड़ के नहीं मिलते थे। साल में दो बार वे अपनी पौध तैयार करते है। बरसात में सिटरस (नींबू, माल्टा आदि व जाड़ों में खुबानी, नाशपाती, सेब, पुलम, खुबानी, आड़ू आदि) की उन्नत नस्लें जो यशौदा पौधालय में तैयार होती है कि खूब मांग है। उद्यान विभाग हाल में इस परिवार को मार्गदर्शन तो कर रहा है लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर इस पौधलय में एक पॉलीहाउस तक नहीं है। अनेक नर्सरियां मात्र कागजों में पंजीकृत हैं और उनकी चांदी कट रही है। पौधों के प्रति लगाव रखने वाले भट्ट परिवार के लोग साल में सैकड़ों पेड़ पौधे निःशुल्क भी बांटते रहे हैं। दो माली नियमित नर्सरी में काम करते हैं।

भट्ट परिवार द्वारा किया जा रहा यह श्रमसाध्य उद्यम पहाड़ के निवासियों के लिए अनुकरणीय है। सरकार को इस तरह का उद्यम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग खेतीबाड़ी और उससे जुड़े अन्य रोजगारों को अपनाएं।

माली पूरन भट्ट व किशोर भट्ट ने बताया कि वे दिन रात एक कर पौंधे में कलम चढ़ाते हैं। मातृ पेड़ से आड़ू, नाशपती, पलम, सेब की उन्नत किस्में तैयार की जाती है। दो से तीन साल में पेड़ तैयार होते हैं। इसके लिए वे बीज भी खरीदते हैं। यह चक्र साल दर साल चल रहा है। साल में वे तीन से चार लाख रुपया कमाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हाल में सरकारी विभागों से पौंधे न खरीदे जाने पर पिताम्बर भट्ट ने फेरी लगाकर 14 हजार से अधिक पेड़ बेच डाले। रामगढ़, भवाली, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि स्थानों पर अनेक फलदार पेड़ों की जड़ें यहीं से तैयार हुई हैं। पलायन को चुनौती देता यह परिवार अपनी जीवटता के लिए जाना जाता है। पिताम्बर की पत्नी पुष्पा देवी, बेटी यशौदा व बेटा सभी के लिए यही नर्सरियां सबकुछ हैं। ●

एक हथिया नौला

एक हथिया नौला का मतलब एक हाथ से बना हुआ नौला है। यह ऐतिहासिक धरोहर चम्पावत-मायावती पैदल मार्ग के किनारे स्थित है। कुमाऊं के एक चन्द राजा ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की बेमिसाल कला का अन्यत्र प्रचार-प्रसार न हो सके, इस कारण क्रूर शासक ने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया। लेकिन जगन्नाथ मिस्त्री भी कला को समर्पित थे। उन्होंने अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज्यादा भव्य कलात्मक इस ऐतिहासिक नौले का निर्माण कर दिखा दिया कि प्रबल इच्छाशक्ति के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। यह नौला कला का अद्भुत नमूना है।

अब 'भांग' से भला होगा उत्तराखंड का

सरकार ने बागेश्वर और उत्तरकाशी को भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया है। उद्यमियों से आला अधिकारियों ने भांग की खेती की संभावना टटोलने के लिए बातचीत की तो अधिकारी खुद हैरान रह गये। बताया गया कि विश्व में तीस देश भांग की खेती कर रहे हैं और भांग के 25 हजार से ज्यादा उपयोग हैं।

■ हरबंस बिष्ट

समूचे विश्व में भांग की खेती प्राचीन काल से होती आयी है। भांग से विश्वभर में पच्चीस हजार से अधिक उत्पाद तैयार किये जाते हैं। भांग के बीजों का उपयोग विभिन्न व्यंजनों के अलावा कैंसर की दवाइयां बनाने व रेशे का उपयोग आटोमोबार्क कागज और पल्प उद्योग में किया जाता हैं। उत्तराखंड सरकार भांग के उत्पादों के माध्यम से किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में कारगर कदम उठाने जा रही है, जो उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

सरकार ने बागेश्वर और उत्तरकाशी को भांग की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया है। उद्यमियों से आला अधिकारियों ने भांग की खेती की संभावना टटोलने के लिए बातचीत की तो अधिकारी खुद हैरान रह गये। बताया गया कि विश्व में तीस देश भांग की खेती कर रहे हैं और भांग के 25 हजार से ज्यादा उपयोग हैं। भांग सिर्फ नशे के लिए बदनाम है लेकिन इसका सही उपयोग हो तो प्रदेश की आर्थिक तसवीर बदली जा सकती है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मुहय्या हो सकता है।

भांग की खेती को वैधानिक रूप देने के लिए राज्य सरकार ने विगत दिनों कोशिश की थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को किसानों को लाइसेंस देने और इसके औधोगिक उपयोग की संभावना टटोलने के निर्देश दिये थे। भांग नशे में उपयोग के कारण बदनाम है। जिस कारण मुख्यमंत्री के इस कदम का विरोध भी हुआ था। देहरादून में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने उद्यमियों से विस्तृत चर्चा की तो तसवीर का दूसरा पहलू सामने आया। उद्यमियों के अनुसार भांग के करीब 25 हजार से ज्यादा उपयोग हैं। भांग के पौधे का रेशा इतना मजबूत होता है कि इसका उपयोग हवाई जहाज से लेकर कार निर्माता कंपनियां तक कर रही हैं। भांग की मांग के कारण लगभग तीस देश इसका उत्पादन कर रहे हैं और इसका निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है।

फार्मा कंपनियों के अनुसार भांग का उपयोग कैंसर सहित अन्य कई असाध्य रोगों के उपचार में होता है। ऑटो इंडस्ट्री के अनुसार भांग के रेशे का उपयोग एयरोक्राफ्ट, पेपर एंड पल्प सहित अन्य कई उद्योगों में इस समय हो रहा हैं मुख्य सचिव ने बताया कि इंडो आस्ट्रेलिया एंटरप्राइज से बाजार की व्यवस्था के लिए सहयोग लेने पर विचार लिया जा रहा है।

भांग की खेती के लाभ

- भांग को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, बंदर, जंगली सूअर सहित अन्य जानवरों के कारण पहाड़ की खेती बर्बाद हो रही है।
- भांग की खेती के लिए तकनीकी रूप से दक्ष होने की भी जरूरत नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भांग बिना किसी विशेष प्रयास के हो रही है। प्रदेश में बागेश्वर जिले में वर्तमान में भांग की खेती हो भी रही है।
- चीड़ से बनने वाले कागज को तीन बार शोधित किया जा सकता है, जबकि भांग के रेशे से बने कागज को सात बार शोधित किया जा सकता है।
- भांग की मांग को अलग से पैदा करने की जरूरत नहीं है, भांग में निर्यात की भरपूर संभावना है।

भांग की समस्या

- उत्तराखंड में पाई जाने वाली भांग का टीएचसी (मादकता) स्तर तीन से अधिक है। औद्योगिक उपयोग के लिए टीएचसी स्तर तीन से कम होना चाहिये। ऐसे में कम टीएचसी वाले बीज प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं। यह बीज कनाडा या अन्य भांग का उत्पादन करने वाले देशों से आयात करना होगा।
- भांग की खेती को लेकर उत्तराखंड में शोध न के बराबर है। भांग के पौधों से रेशा बनाने का काम फाइबर बोर्ड की परियोजना के तहत किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर उद्योग भांग का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं।

शासन स्तर पर कमेटी गठित

भांग की खेती के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय, इंडो आस्ट्रेलियन एंटरप्राइज और स्थानीय उद्योग मिलकर काम करने पर सहमत हैं। इस काम के लिए प्रमुख सचिव डॉ. रणवीर सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया है।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता के अनुसार मई में प्रयोग के लिए दो स्थानों पर भांग की खेती की जाएगी। भांग की खेती के कई लाभ हैं और उद्योग इसका लाभ लेने को तैयार भी है। सरकार से पहले दौर की सकारात्मक बातचीत हो चुकी है। उत्तराखंड में भांग की खेती को बढ़ावा मिलने से पलायन पर भी अकुंश लगाया जा सकता है। ●

खलाड़ गांव के बहाने कुछ कर दिखाने का जज्बा

■ **कृषि चौपाल**

आज भी उत्तराखंड में ऐसे गांव हैं जहां जिलाधिकारी के बारे में लोग केवल यह जानते हैं कि वह कोई बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं। उन लोगों ने जिलाधिकारी को कभी भी रूबरू नहीं देखा है। नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी अपने नियमित प्रशासनिक भ्रमण के दौरान स्थानीय विधायक श्रीमती सरिता आर्या के साथ जब खलाड़ गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वाकया बेतालघाट विकासखंड के दूरस्थ गांव खलाड़ में जनता दरबार के आयोजन का है। नैनीताल जनपद के जिलाधिकारी दीपक रावत स्थानीय विधायक सरिता आर्या के साथ पूर्व निश्चित जनता दरबार के लिये खलाड़ गांव पहुंचे।

भारत की आजादी के बाद यह पहला मौका है कि कोई जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी इस गांव में आया। जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक के इस दौरे में भाजपा मण्डल अध्यक्ष दलीप बोहरा ने खासी मशक्कत की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की जनता से यह वादा किया था कि वह विकास को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचायेंगे। उनकी सोच को साकार करने के लिये विधायक सरिता आर्या व जिलाधिकारी दीपक रावत ने खलाड़ गांव का भ्रमण कर गावंवासियों की समस्याएं सुनीं।

आजादी के बाद अतिदुर्गम गांव खलाड़ पहुंचना अपने आप में सपना है लेकिन जो लोग पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उनकी क्या मनोदशा रही होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भले ही किसी रूप में खलाड़ गांव की याद जिलाधिकारी दीपक रावत व क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य को आयी। उन लोगों ने प्रशासनिक लाव-लश्कर के साथ गांव में चौपाल लगायी जो भविष्य के लिए सुखद संदेश देता है।

प्रशासन व विधायक के साथ होने से स्थानीय लोगों का चेहरा खिलना स्वाभाविक था। सिर्फ खलाड़ तक जितने गांव-कस्बे रास्ते में पड़ते हैं, उनका भी उद्धार होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में हजारों गांव, तोक, कस्बे ऐसे हैं जहां न प्रशासन पहुंचता है और न जनप्रतिनिधि। मूलभूत सुविधाओं की तो कोई बात भी नहीं करता। चीड़ के छिलकों से भी आज कई गांव रौशन होते हैं।

दलीप बोहरा ने दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर यह साबित कर दिया कि जो विकास की अवधारणा है, उसे निर्मल गंगा की तरह बहना चाहिये। खलाड़ गांव जैसे ही उत्तराखंड में आज भी ऐसे गांव, कस्बे, तोक हैं जहां बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क मार्ग की कमी के अलावा उनकी मूलभूत समस्या जैसे मिट्टी का तेल, कंट्रोल का राशन आदि भी नहीं मिल पाता हैं। खलाड़ में जिलाधिकारी गये लेकिन उनके साथ जिनकी सामाजिक जिम्मेदारी बननी थी वे लोग नदारद रहे। यह प्रशासन व सरकार के लिए एक चुनौती है।

आजादी के 67 साल हुए, कई राज्य बने, कई जिले बने। उत्तराखंड में कई दिग्गज पैदा हुए, जिन्होंने संविधान बनाने से लेकर देश-विदेशों में खूब नाम कमाया, लेकिन उपेक्षा का शिकार बना रहा उत्तराखंड। राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से हमेशा ही उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ किया गया है। यही वजह है कि उत्तराखंड अलग राज्य बन तो गया, लेकिन राज्य की सार्थकता आज तक साकार नहीं हो सकी। ●

किसानों को मिर्च उगाने पर मिलेगा बोनस

उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों को बोनस देगी। ऊधमसिंहनगर जिले में मिर्च के कम उत्पादन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक उत्पादक को प्रति हेक्टेयर भूमि पर मिर्च लगाने पर पांच सौ रुपये का बोनस देगी। बोनस आने वाले सीजन में मिर्च की खेती करने वालों को दिया जाएगा।

ऊधमसिंहनगर जिले में 23.50 हेक्टेयर मिर्च की खेती की जाती है। मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में जसपुर और बाजपुर मुख्य हैं। बाजपुर में कनौरी, रामजीवनपुर, महेशपुर तथा जसपुर में बुढ़ाफार्म, पतरामपुर, किच्छा, बंडिया में मुख्य रूप से मिर्च उत्पादक किसान है। यहां पैदा होने वाली मिर्च जिले के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाती है। इसी कारण उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों से मिर्च कुंमाऊ के बाजारों में आती है। रामपुर के विलासपुर, स्वार, मिलक, बहेड़ी, देवरनियां सहित प्रदेश के कई हिस्सों के किसान कुंमाऊ में मिर्च का कारोबार करते हैं। इसके अलावा दिल्ली की मंडी से भी कुंमाऊ के विभिन्न हिस्सों में मिर्च पहुंचती है। तराई में मिर्च के कम उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। ●

पहाड़ के लिए जरूरी है पशुपालन एवं डेयरी व्यवसायः डॉ. टीएल सिंह

■ **कृषि चौपाल**

उत्तराखंड सरकार द्वारा पहाड़ी ग्रामीण अंचलों से पलायन रोकने तथा वहां स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निःसंदेह अनेक प्रोत्साहनपरक योजनाएं शुरू की गयी हैं। विशेष तौर से बागवानी, कृषि एवं पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार बनाने पर सरकार जोर दे रही है। परंतु सरकार की मंशा तब तक जमीन पर नहीं उतर सकती, जब तक विकास के इस मॉडल में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता। यह कहना है जाने-माने पशु चिकित्सक व पशुपालक डॉ. टीएल सिंह का।

पहाड़ की स्थिति-परिस्थिति, आर्थिकी तथा विकास के मॉडल पर 'कृषि चौपाल' के साथ चर्चा करते हुए डॉ. टीएल सिंह ने पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव साझा किये और साथ ही सरकार की नीतियों व सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर निराशा भी जताई। डॉ. सिंह का स्पष्ट तौर पर मानना है कि पशुपालन ही पहाड़ की खेती व बागवानी का आधार है जबकि डेयरी व्यवसाय स्वरोजगार का सरल माध्यम है। प्रस्तुत हैं उनसे बातचीत के अंशः-

राज्य के पर्वतीय अंचलों में पशुपालन परंपरागत रूप से होता आया है और यह ग्रामीण आर्थिकी का एक मजबूत आधार रहा है। सदियों से पहाड़ के लोग गाय-बकरी, भैंस, घोड़े-खच्चर आदि पशु पालते आये हैं और बड़े आराम से अपना जीवन-यापन करते रहे हैं।

बहुतायत में पशुपालन होने से यहां की कृषि व बागवानी के साथ ही जंगल भी समृद्ध स्थिति में रहे हैं। इसका प्रमुख कारण था बड़े पैमाने में गोबर की खाद की उपलब्धता।

जमीन को पर्याप्त खाद मिलने से अनाज के साथ ही सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन, दलहन, तिलहन, मसाले इत्यादि की अच्छी उपज यहां होती आयी है। इसके अलावा दिनभर पशु जंगलों में चरते थे और इस तरह जंगलों को भी पर्याप्त खाद स्वतः ही मिल जाती थी। समृद्ध जैविक विविधता के चलते यहां की जलवायु भी हमेशा अनुकूल तथा व्यवस्थित रहती थी। परिणाम स्वरूप वर्षा का चक्र भी संतुलित व नियमित रहता था। समय से बारिश होने से पहाड़ के वनों में प्राकृतिक जड़ी-बूटियां, कंद-मूल की कोई कमी नहीं थी। वन्य पशुओं के सम्मुख मानव आबादी में अतिक्रमण करने की कोई मजबूरी नहीं थी। इस तरह पहाड़ का संपूर्ण जीवन-चक्र व आर्थिक-चक्र एक व्यवस्थित क्रम में गतिशील रहता था।

सरकारों की अव्यावहारिक नीतियों तथा विकास के परजीवी मॉडल ने देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों के आर्थिक-चक्र को नष्ट कर दिया। पलायन, बेरोजगारी, नशा और मौसम की बेरुखी के चलते कृषि-बागवानी भी दम तोड़ती चली गयी।

पहाड़ को यदि सभी तरह की समस्याओं से मुक्त करना है और एक खुशहाल राज्य की परिकल्पना को साकार करना है तो राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत को समय रहते यह बात समझ लेनी चाहिए कि पहाड़ के ग्रामीण अंचलों में पशुपालन को और खासतौर से गो-पालन व डेयरी व्यवसाय को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। गो-पालन से ही कृषि, बागवानी, पर्यटन, जड़ी-बूटी और जंगलों के विकास को एक सही दिशा दी जा सकेगी और वन्य जीवों के आतंक पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। गो-पालन बढ़ने से डेयरी व्यवसाय को गति मिलेगी जो ग्रामीण रोजगार में सहायक होगी। जहां दूध होगा वहां नशा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता और पहाड़ के युवाओं को नशे से बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

सरकार की गाय-गंगा योजना को बेशक सराहनीय कहा जा सकता है, परंतु इतने भर से कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दो-दो गायें अच्छी नस्ल की सरकार मुहैया कराये और यह कार्य युद्ध स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। तात्कालिक परिणाम के लिए यही एकमात्र रास्ता है।

डॉ. टीएल सिंह एक जाने-माने पशु चिकित्सक होने के साथ ही राज्य के एक प्रमुख गो-पालक भी है। पंतनगर के समीप जवाहर नगर में पिछले 40 वर्षों से वह एक डेयरी फार्म का संचालन करते आ रहे हैं। अवन्तिका डेरी फार्म के नाम से प्रसिद्ध इस डेयरी में डॉ. टीएल सिंह की मेहनत, लगन व सोच को देखा जा सकता है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के शोध छात्र एवं वैज्ञानिक यहां अक्सर आते रहते हैं। इसके अलावा देश-विदेश के अनेक कृषि विश्वविद्यालयों से भी शोध छात्र व वैज्ञानिक यहां पहुचते हैं। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र मे डॉ. सिंह की जो सोच, लगन व अनुभव हैं यदि सरकार उन पर थोड़ा भी अमल कर सके तो राज्य के विकास में एक चमत्कारिक अध्याय जुड़ सकता है। ●

पहाड़ की खेती की समस्याओं का समाधान है चकबंदी: गणेश सिंह गरीब

उत्तराखंड में आजकल बुद्धिजीवी और क्षेत्रीय राजनीतिक वर्ग राज्य को चकबंदी के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद-371 के अंतर्गत लाए जाने तथा राजस्व अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू किये जाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य गठन के पंद्रह वर्ष के बाद भी राज्य की जनता की निराशा और हताशा में कोई कमी नहीं आयी है। बल्कि पलायन बढ़ा है, खेती घटी है और व्यवस्था चरमरा गयी है। इस संकट के बीच घुमंतू पत्रकार सुरेश नौटियाल ने गणेश सिंह गरीब के सरस्वती निवास, चंदन वाटिका, ग्राम सूला (निकट कल्जीखाल, असवालस्यूं, पौड़ी-गढ़वाल) पहुंचकर उनसे चकबंदी और संबंधित विषयों पर चर्चा की। आसान शब्दों में वह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की संपन्नता की कुंजी चकबंदी को मानते हैं। उनसे हुयी चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

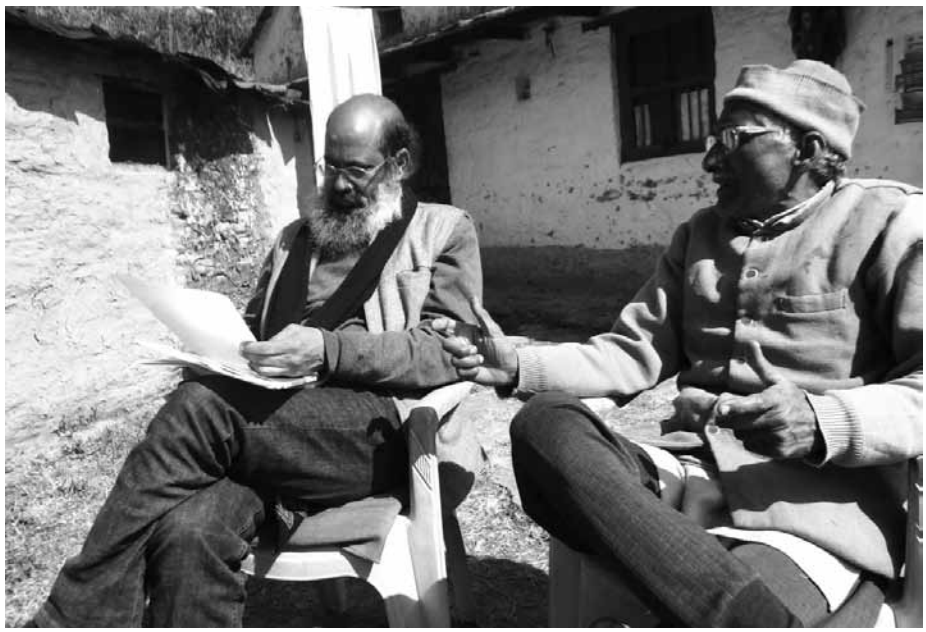

सुरेश नौटियाल गणेश सिंह गरीब से उनके गांव सूला में वार्ता करते हुए

आपने चकबंदी के विचार पर कब से काम शुरू किया?

वर्ष 1975 से ही विचार था। तब मैं दिल्ली में था। खन्ना मार्किट में रेडियो बनाने और उनकी मरम्मत का अपना काम था मेरा। बहरहाल, चकबंदी के विचार को क्रियान्वित करने के लिए मैंने एक संस्था बनाई - प्रगतिशील गढ़वाली संगठन जिसका नाम बाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील गढ़वाली संगठन कर दिया गया। स्व. हेमवतीनंदन बहुगुणा इसके संरक्षक थे। मैंने इस संस्था में चकबंदी के विचार पर चर्चा की और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गढ़वाल जनपद में कल्जीखाल, कोट और पौड़ी ब्लाकों के एक सप्ताह के दौरे पर गया और ग्रामीणों के साथ चर्चा की। बाद में, 1978 में मैंने अपने गांव सूला में चकबंदी पर बात रखी और चकबंदी को लेकर प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव जनपद के डीएम को दिया गया। इस बीच मैं दिल्ली के पीतमपुरा स्थित एमआईजी फ्लैट और खाना मार्किट की रेडियो रिपेयरिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर गांव पहुंच गया। अपने ढाल वाले अच्छे खेत ग्रामीणों को दिए और बदले में भ्याल (खड़ी बंजर पहाड़ी) मांगी और यहीं चकबंदी का प्रयोग किया।

आपने इस चंदनवाटिका में चकबंदी का अभिनव प्रयोग किया। यदि आप सिंहावलोकन करें तो क्या सोचते हैं?

मैंने अपने खेत गांववालों को देकर यह ऊबड़-खाबड़ और बंजर तोक (चक) लिया और इस पर कृषि और बागवानी का प्रयोग किया। सेब, प्लम, आड़ू, माल्टा, अखरोट, खुबानी, अनार इत्यादि के पेड़ लगाए। इन्हें सींचने के लिए काफी दूर से पानी लाता था। सरकारी बागवानी अधिकारी भी मेरा काम देखकर चकित हो जाते थे। जैसे-जैसे पेड़ बड़े होते गए, उन्हें पानी कम देता गया क्योंकि उनकी जड़ें भूमि की नामी से पानी लेने लगी थीं। बहरहाल, जब तक शरीर में शक्ति थी प्रयोग सफल रहा पर इसका व्यापक अनुकरण अनेक कारणों से नहीं हो पाया। आज इतना ही कहूंगा कि चकबंदी आंदोलन को युवावर्ग ही आगे ले जा सकता है। बच्चों का ध्यान कृषि की ओर किया जाना आवश्यक है। कृषि-विज्ञान की पढ़ाई प्राथमिक पाठशाला से अनिवार्य हो। खेती के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित होना भी जरूरी है।

चकबंदी को लेकर आज सरकारी स्तर पर क्या स्थिति है?

हम सबकी मांग के बाद राज्य सरकार चकबंदी पर विधेयक लाने का विचार रखती है। यमुनोत्तरी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी बनाई तो है पर उनकी प्राथमिकता आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है। चकबंदी उनकी प्राथमिकता नहीं है। सरकार ने चकबंदी पर गंभीरता से विचार भी नहीं किया है, सार्थक बहस भी नहीं कराई है। व्यावहारिक नियम-कानून बनाने पर भी बात नहीं की है। बहरहाल, हमने अपनी संतुस्तियां सरकार को दे दी हैं। हमारा कहना है कि सर्वप्रथम चकबंदी विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाए जो तय करे कि पहाड़ में चकबंदी कितनी सही रहेगी। यह हमें पता होना चाहिए कि मूल ध्येय क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो? सबको राजनीति नहीं, विकास के पक्ष में होना चाहिए।

चकबंदी को लेकर क्या आपने दूसरे राज्यों में अध्ययन किया?

हिमाचल प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में जाकर चकबंदी का अध्ययन किया। वहां से चकबंदी मैनुअल लेकर आया। चकबंदी मैनुअल वैसे तो उत्तर प्रदेश का बेहतर है पर राजनीतिक इच्छाशक्ति हिमाचल प्रदेश में बेहतर होने से परिणाम भी अधिक अनुकूल निकले हैं। एक शिकायत है कि जब उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों

में चकबंदी की गयी तब पर्वतीय भाग को क्यों छोड़ दिया गया? पहाड़ में चकबंदी तब हो गयी होती तो ऐसी दुर्दशा न होती। जहां तक याद है, पंडित गोबिंदबल्लभ पंत ने कहा था कि चकबंदी मैदानों के लिए उपयुक्त है, पहाड़ के लिए नहीं। आज की परिस्थिति को देखते हुए कहूंगा कि विकास की योजनाओं पर चकबंदी की धुरी लगानी आवश्यक है। साथ ही, मिट्टी, पानी और जवानी को खेत और गांव में रोकें।

जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए चकबंदी कितनी आवश्यक है?

जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए चकबंदी अत्यंत आवश्यक है। घरों में लोग रहेंगे तो जंगली जानवर भी दूर भाग जाएंगे। पहाड़ में यदि चकबंदी हो जाए तो 12 लाख लोगों का स्थाई रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा। मैं तो इतना आशावादी हूं कि यह कह सकता हूं कि पहाड़ में 90 प्रतिशत समस्याओं का समाधान चकबंदी में है।

क्या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण चकबंदी पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है?

हां, इस काम में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। पर्वतीय विकास कैसा हो, इस बारे में गंभीरता भी नहीं है। यह बात अबतक की सब सरकारों पर लागू होती है। हमने पहाड़ी राज्य लिया, पर्वतीय भूमि के नियोजन का दायित्व लिया पर भूमि प्रबंधन नहीं कर पाए, जबकि यह पहला काम होना चाहिए था। विकास की जो भी योजनाएं रहीं, उनका परिणाम विनाशकारी रहा। पलायन भी तेज हुआ है और वाह्य-निर्भरता बढ़ गयी है। इससे अधिक दुखद क्या होगा कि राज्य बनने के बाद खेत बंजर होने की गति बढ़ी है। सरकारें बस सस्ती लोकप्रियता पाने की होड़ में रहती हैं। कुल मिलाकर सोच में गड़बड़ है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है।

पहाड़ में खेती की बुरी स्थिति है पर दावेदारों की कमी भी नहीं है। ऐसे में आप एक अच्छी स्थिति की परिकल्पना कैसे करते हैं?

मैं कुल मिलाकर चिंतित हूं। पर, मन में है कि ऐसा कानून बने जो सुनिश्चित करे कि खेती सर्वप्रथम उसकी हो जो स्थाई रूप से उसे जोतता हो, दूसरे उसकी हो जो जोतता तो न हो और किसी कारणवश पलायन कर गया हो पर लौटकर खेती करने की इच्छा रखता हो। तीसरा अधिकार उसका बनता है जो अपने गांव और खेत से संबंध बनाए रखना चाहता हो। पर जो दशकों पहले पलायन कर गया हो और देश की आजादी के समय से ही नदारद हो, उसकी भूमि का निर्णय ग्राम-समाज के पक्ष में, बड़े हित में किये जाने की व्यवस्था हो।

उत्तराखंड को संविधान के अनुच्छेद-371 के अंतर्गत लाए जाने की मांग भी तेज हो रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है? राजस्व अधिनियम की बात भी चल रही है!

संविधान के अनुच्छेद-371 की व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पर, इतना अवश्य है कि गांव की भूमि गांव के मूल निवासियों के पास ही रहनी चाहिए। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की शैली में भूमि-सुधार किया जाना चाहिए। राजस्व अधिनियम तो होना ही चाहिए ताकि खेती की जमीनों की खरीद-फरोख्त को प्रतिबंधित किया जा सके।

पौड़ी में 7-8 अक्तूबर 2014 को चकबंदी मंथन शिवर के बाद राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रमुख संस्तुतियां और सुझाव

- पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी की परिभाषा, प्रक्रिया और उद्देश्य स्पष्ट हों।
- पर्वतीय भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाए।
- दूसरे राज्यों यथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की चकबंदी व्यवस्था के व्यावहारिक गुणों का समावेश हो।
- राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों, पर्वतीय किसानों, महिला प्रतिनिधियों, सामजिक संगठनों, संस्थानों, चकबंदी कार्यकर्ताओं, और पंचायत प्रतिनिधियों के सुझावों को संज्ञान में लिया जाए।
- चकबंदी के अब तक के प्रयासों का संज्ञान हो।
- गैर-दावेदार भूमि, बिना बहीनामे वाली भूमि, संटवारा-बंटवारा और गोल खातों की समस्या, भूमिहीन परिवारों की समस्या, एक परिवार की अनेक गांवों में जमीन होने की समस्या, स्थाई और आंशिकरूप से पलायन कर गए परिवारों की भूमि से जुडी समस्या, मूल निवास के संदेहों का स्पष्ट समाधान, बंजर पड़े खेतों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- उत्तराखंड का चकबंदी अधिनियम बनाने के बाद राज्य का अपना चकबंदी मैनूअल बने और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण दिया जाए।
- चकबंदी में गांव में ही रहकर जीवन यापन करने वालों को प्राथमिकता दी जाए।
- चकबंदी वाले गांवों में सरकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अल्मोड़ा जनपद में नानीसार तोक की भूमि एक पूंजीपति के तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के लिए अवैध ढंग से दिए जाने के मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे?

नानीसार के साथ-साथ सरकारों ने अपनी गलत नीतियों के चलते पूरे पहाड़ को बेच दिया है। पूरे पहाड़ को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है। पर, इस स्थिति के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। पलायन करेंगे और खेती छोड़ेंगे तो हमारी जमीनें बिकने की स्थितियां पैदा होंगी। खेतों में पेड़ उगेंगे और जंगल बन जाएंगे तो खेती की जमीनों पर हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। पहले कानून था कि 12 साल तक बंजर रहने वाली जमीन केसर-हिंद मानी जाएगी पर 2007 का कानून कहता है कि जो खेत छः फसल (तीन वर्ष) तक नहीं जुतेगा, वह खेत केसर-हिंद हो जाएगा। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।

किसी स्तर पर चुनाव लड़ने की इच्छा है क्या?

जब तक राजनीतिक वातावरण ठीक नहीं, तब तक चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं वोट की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। एक बार गांववासियों के कहने पर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा पर पांच-सात वोट से हार गया और दूसरी बार ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ा तो केवल दो वोट मिले।

क्षेत्रीय राजनीति पर आपके विचार?

पहाड़ के विकास का दर्द सबके मन में है। सब क्षेत्रीय शक्तियां एक-साथ बैठें। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएं और मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में विचार करें।

उत्तराखंड में आजकल सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की बहुत सी बातें हो रही हैं। आप कैसे परिवर्तन की परिकल्पना करते हैं?

मैं उत्तराखंड में क्रांतिकारी परिवर्तन की परिकल्पना करता हूं। व्यवस्था इतनी बीमार हो गयी है कि गोली और इंजेक्शन मात्र से काम चलने वाला है नहीं। पूरे ऑपरेशन, पूरी चीर-फाड़ की आवश्यकता है। अर्थात व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की चाह है।

फोटो: अनीता नौटियाल

खतरनाक साबित होंगे कृत्रिम जलाशय

पर्वतीय इलाकों में बनाये गये बांधों और छोटी कृत्रिम झीलों पर किया गया शोध खासा चौंकाने वाला है।

■ कृषि चौपाल

उत्तराखंड में गैर योजनागत स्वरूप के निर्माण कार्यों के खिलाफ विगत लगभग तीन दशकों से पर्यावरणविद्ों और उत्तराखंड के निवासियों द्वारा निरंतर विरोध दर्ज किया जाता रहा है। परंतु सरकारों द्वारा विरोध के स्वरों को लगातार अनसुना किया गया। एक ताजा अध्ययन में मौसम विभाग ने यह राय दी है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बनायी गयी कृत्रिम झीलें भविष्य में बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 16-17 जून को उत्तराखंड में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण भीषण प्राकृतिक आपदा घटी थी। उस आपदा में भारी पैमाने पर जन-धन की क्षति हुई थी। इस आपदा से उत्तराखंड आज तक नहीं उबर पाया है। उस भीषण आपदा के लिये बादल फटने की घटनाओं को प्रमुख जिम्मेदार माना गया था। मौसम विभाग की ताजा आशंकाओं ने अब इस अवधारणा को और पुख्ता कर दिया है कि उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल में विगत वर्षों के दौरान बादल फटने की घटनाओं में अचानक जो तेजी आयी है उसकी एक प्रमुख वजह उत्तराखंड और हिमाचल आदि पर्वतीय इलाकों में निर्मित किये गये बांध तथा कृत्रिम जलाशय हैं।

मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी बढ़ने से इन जलाशयों में वाष्पीकरण भी तेजी से होता है, और बादल बनने की घटनाओं में तेजी आती है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा विगत दशकों के दौरान पर्यावरणविद्ों और आम उत्तराखंडियों के उन आंदोलनों को हमेशा खारिज किया गया, जिन आंदोलनों के द्वारा उनसे यह मांग की गयी थी कि पहाड़ी क्षेत्र में भारी-भरकम बांधों और अन्य निर्माण कार्यों को रोका जाये। लेकिन राज्य के और केंद्र के सत्ता प्रतिष्ठान ने कभी भी उत्तराखंड की चिंता नहीं की। राज्य में बिजली उत्पादन के लिये तथा दिल्ली आदि मैदानी इलाकों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पहाड़ों में बांध और जलाशय बनाये गये, नहरें निकाली गयीं, पहाड़ों में सुरंगे बनायी गयीं तथा सड़कों के निर्माण के लिये पहाड़ों को काटा गया।

देहरादून स्थित मौसम केंद्र ने पिछले दिनों पर्वतीय इलाकों में बनाए गये बांधों और छोटी कृत्रिम झीलों पर एक महत्वपूर्ण शोध किया है। शोध के हवाले से यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न विकास योजनाओं के तहत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में नदी-घाटियों में कई जगहों पर बांध और मध्यम व छोटे आकार के जलाशय बनाये गये हैं। इन जलाशयों के घाटियों में स्थित होने के कारण इन जलाशयों में वाष्पन काफी तेजी से होता है, क्योंकि नदी-घाटी इलाकों में गर्मियों में तापमान कभी-कभी 40 डिग्री को भी पार कर जाता है। वाष्पीकरण से इन इलाकों में बादल बनते हैं और इसी दौरान यदि तूफान आ जाय तो वह तूफान झीलों-जलाशयों के ऊपर से गुजरते समय इन झीलों और जलाशयों की सतह से नमी को सोख लेते हैं। इस प्रक्रिया से बादल बनने की रफ्तार और तेज हो जाती है। ये तूफान के साथ उड़कर घाटियों के इर्द-गिर्द पहाड़ियों पर और घाटी में 40 से 50 मिली से भी ज्यादा मोटी बारिश कर सकते हैं। इतनी भारी और तेज बारिश से भयंकर तबाही आ सकती है तथा घाटियों में स्थिति और भयावह हो सकती है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बादल फटने की या अतिवृष्टि की यह घटनाएं गर्मियों में ही ज्यादा पेश आती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मानसून के दौरान इस प्रकार की घटनाओं की संभावना काफी कम होती है। ●

फार्म - 8
(नियम 8 देखिए)

1. नाम	:	कृषि चौपाल
2. प्रकाशन-स्थान	:	दिल्ली
3. प्रकाशन-अवधि	:	मासिक
4. मुद्रक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	लागू नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
5. प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	लागू नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
6. संपादक का नाम	:	महेन्द्र सिंह बोरा
क्या भारत के नागरिक हैं?	:	हां
यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम	:	लागू नहीं
पता	:	सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092
7. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो	:	महेन्द्र सिंह बोरा
पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त	:	सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9,
पूंजी हों या जिनका हिस्सा हो		वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

मैं महेन्द्र सिंह बोरा एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

01-03-2016

महेन्द्र सिंह बोरा
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

BOOKS

BOOKLETS

MAGAZINES

NEWSLETTERS

BROCHURES

CALENDARS

REPORTS

POSTERS

FLYERS

Designing & Printing under One Roof

KALPANA PRINTOGRAPHICS
Call us: +91-9910406059
E-mail: kpgdelhi@yahoo.com
Kalpana Printographics

पेश है

एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन

भारतीय स्टेट बैंक
हर भारतीय का बैंक

आपकी आज की और भविष्य की आय के अनुरूप होम लोन ईएमआई

अब ऑनलाइन आवेदन करें
और तुरंत अनुमोदन प्राप्त करें

जब आप अपना ड्रीम होम आज ही खरीद सकते हैं तो
कल का इंतजार क्यों...

https://onlineapply.sbi.co.in देखें या SMS "HOME" 9223588888 पर भेजें जिससे आपको कॉल किया जा सके।

अधिक जानकारी के लिए 1800 425 3800 और 1800 11 2211 (टोल फ्री)/080-26599990 पर कॉल करें

Linked in